भारतीय होटल निगम लिमिटेड

fo"k;&l ph

		i"B l-
1.	निदेशक–मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	11
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	13
5.	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	20
6.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	21
7.	नकदी प्रवाह विवरण	22
8.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	23
9.	वार्षिक लेखे का अनुलग्नक	41
10.	दस वर्षीय सांख्यिकी	42

fun'kd&eMy ¼31-12-2014 dk½

श्री रोहित नन्दन v/;{k
श्रीमती एम सत्यवती
श्री अरुण कुमार
श्री एस वेंकट

diuh lfpo
सुश्री श्यामला पी कुंदर

y[kkijh{kd
एम. ए. पारीख एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
मुंबई

lkfyflVl
मैसर्स एम वी किणी एण्ड कंपनी

cSdl
भारतीय स्टेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक लिमिटेड

iath—r dk;ky;
पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनैक्स बिल्डिंग,
एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट,
सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई–400 029.

fun'kdk dh fjikVZ

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी तैंतालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

¼yk[k #i;k e½

fooj.k	2013&14	2012–13	vrj
कुल राजस्व	5050-29	4636.45	413.84
कुल प्रचालन व्यय	8509-36	7936.36	573.00
सकल प्रचालन लाभ/(हानि)	¼3459-07½	(3299.91)	159.17
ब्याज	548-62	2.03	546.59
नकद (हानि)	¼4007-69½	(3301.94)	705.76
मूल्यह्रास	184-43	176.18	8.25
असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि)	¼4192-12½	(3478.12)	714.01
असाधारण मदें	¼110-60½	(0.47)	
पूर्वावधि समायोजन	34-31	83.88	
असाधारण मदों के बाद परंतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	¼4047-21½	(3561.53)	485.69

Çlgkoykdu

- वर्ष के दौरान कुल राजस्व, 4636.45 लाख रुपए की तुलना में बढ़कर 5050.29 लाख रुपए हो गया है, जो वर्ष 2012–13 से 413.84 लाख रुपए (9%) अधिक है। यह मुख्यतः राजस्व में दिल्ली स्थित टी3 लाउंज की 460.04 लाख रुपए, शैफेयर, मुंबई की 245.77 (34%) लाख रुपए की हुई वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, कुल राजस्व में सेंटॉर दिल्ली में 195.42 लाख रुपए (10%) तथा सेंटॉर, श्रीनगर में 206.58 लाख रुपए (20%) की कमी हुई।
- कुल व्यय बढ़कर 8509.36 लाख रुपए हुआ, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 573 लाख रुपए (7%) की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः कर्मचारी लागत में 378.84 लाख रुपए तक की वृद्धि के कारण है (जो मुख्यतः उपदान और छुट्टी के नकदीकरण के लिए किए गए 248.05 लाख रुपए के बीमांकक प्रावधान में हुई वृद्धि एवं टी3 लाउंज, दिल्ली के लिए 47.44 लाख रुपए की राशि की कर्मचारी लागत से संपूर्ण वर्ष के प्रभाव के कारण है)।
- 01 मार्च 2014 से सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की गई, जिसके परिणामस्वरूप 140 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए।
- उपर्युक्त को देखते हुए, पिछले वर्ष की 3299.90 लाख रुपए की सकल प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 3459.07 लाख रुपए की सकल प्रचालन हानि हुई।
- प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए ऋण पर एअर इंडिया की वित्त लागतों पर 534.51 लाख रुपए की राशि के ब्याज को लाभ एवं हानि खाते में डाला गया।
- पिछले वर्ष असाधारण मदों के पश्चात् निवल हानि 3561.52 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष निवल हानि 4047.21 लाख रुपए है।

कंपनी के इकाईवार निष्पादन का विवरण निम्नानुसार रहा :

lsVkj gkVy fnYyh ,vjikVZ

इस इकाई ने पिछले वर्ष 2036.86 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 1841.44 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी हुई। यह मुख्यतः रूम किराए पिछले वर्ष के 37,779 से वर्ष 2013–14 में 29,714 तक घटने के कारण है।

पिछले वर्ष के 3024.92 लाख रुपए के व्यय की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय 3140.96 लाख रुपए रहा। इसके परिणामस्वरूप इकाई को पिछले वर्ष 988.06 लाख रुपए के प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 1299.52 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 1085.29 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1589.69 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 1100.74 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1483.44 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

lsVkj ysd 0;w gksVy] Jhuxj

इस इकाई ने पिछले वर्ष 1011.29 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 804.71 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% की कमी हुई।

पिछले वर्ष के 1342.13 लाख रुपए के व्यय की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय 1353.20 लाख रुपए है। इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 330.84 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 548.49 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 355.60 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 650.37 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 360.80 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 650.64 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

'kQ;j ¶ykbV dSVfjax] eqacbZ

इस इकाई ने पिछले वर्ष 720.92 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 966.69 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 34% की वृद्धि हुई।

कुल व्यय पिछले वर्ष 1826.32 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष अधिक यानी 2131.09 लाख रुपए रहा।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 1105.40 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 1164.39 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 1136.67 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1379.80 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 1204.35 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 1370.69 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

'kQ;j ¶ykbV dSVfjax] fnYyh

इस इकाई ने पिछले वर्ष 285.24 लाख रुपए के अर्जित राजस्व की तुलना में इस वर्ष 372.01 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30% की वृद्धि हुई। कुल व्यय पिछले वर्ष 1116.48 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 1044.93 लाख रुपए हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई को पिछले वर्ष 831.24 लाख रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में इस वर्ष 672.92 लाख रुपए की प्रचालन हानि हुई। ब्याज और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 853.50 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 794.40 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

असाधारण मदों पर विचार करने के बाद, इकाई को पिछले वर्ष 848.77 लाख रुपए की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष 763.88 लाख रुपए की निवल हानि हुई।

Vh3 ykmat] fnYyh

इस यूनिट ने, अपना प्रचालन 2013 में आरंभ किया था तथा पिछली अवधि जनवरी–मार्च 2013 में 50.92 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 510.96 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया। पिछली अवधि जनवरी–मार्च 2013 में 109.69 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान कुल व्यय 335.15 लाख रुपए रहा।

इसके परिणामस्वरूप, इकाई ने पिछली अवधि जनवरी–मार्च 2013 में 58.77 लाख रुपए के प्रचालन लाभ की तुलना में इस वर्ष 175.81 लाख रुपए का प्रचालन लाभ अर्जित किया। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद, इकाई ने पिछली अवधि जनवरी–मार्च 2013 में 58.83 लाख रुपए की हानि की तुलना में इस वर्ष 175.16 लाख रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

okf"kZd ;kstuk ifj0;; 2013&14

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 12 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन दिया था।

HkwriwoZ lSfudksa dk jkstxkj

कंपनी भूतपूर्व सैनिकों के रोज़गार के संबंध में सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन करती आ रही है।

vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr ,oa vU; fiNM+s oxZ dk jkstxkj

भारतीय होटल निगम की छः इकाइयों में से तीन इकाइयों के विनिवेश के बाद भरती पर प्रतिबंध था, अतः कोई भरती नहीं की गई। तथापि, कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के लिए सरकारी निदेशों का पालन करती है।

jktHkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समय–समय पर सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन किया गया।

çf'k{k.k ,oa fodkl

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों में अनेक तरह के अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में नामित करते हुए अपने कर्मचारियों को सभी स्तरों पर आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी परिकल्पना और होटल उद्योग में अद्यतन उन्नयन हासिल करने के अवसर उपलब्ध कराएं।

lrdZrk

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय होटल निगम की सभी इकाइयों में आवधिक आकस्मिक जांच एवं निरीक्षण किए गए। प्रशासन विभाग से प्राप्त निर्विष्टियों पर आधारित रिपोर्ट विभिन्न एजेंसियों को भिजवाई गई। वर्ष के दौरान, निविदा/क्रय प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में समय–समय पर प्रक्रियागत सलाह दी गई। 20 अक्तूबर से 3 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

fons'kh nkSjs

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत किसी प्रकार का व्यय नहीं किया ।

dkfeZd

कंपनी के मुख्य कार्यालय और विभिन्न इकाइयों में 31 मार्च 2014 को कंपनी के पे रोल पर कुल 1065 कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च 2013 को 1276 कर्मचारी थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों के साथ प्रबंधन का संबंध अच्छा एवं सद्भावपूर्ण रहा।

osru le>kSrk

सभी यूनिटों के यूनियन श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न यूनियनों के साथ वर्ष 2002 से 2006 तक की अवधि के लिए हस्ताक्षरित वेतन समझौता पहले ही निष्पादित किया गया है और जनवरी 2007 से नया वेतन संशोधन लंबित है।

deZpkfj;ksa dk fooj.k

वर्ष के दौरान ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे, जिन्हें प्रति माह 5 लाख रुपए या प्रति वर्ष 60 लाख रुपए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है। अतः इस बारे में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है।

fons'kh eqæk vtZu ,oa O;;

पिछले वर्ष 29.46 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा अर्जन की तुलना में इस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन 3.42 लाख रुपए था। वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं किया गया।

ÅtkZ laj{k.k ,oa çkS|kfxdh lfoy;u

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देना जारी है। ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऑटोमेशन एवं बेहतर नियंत्रण से ऊर्जा संरक्षण संभव हो सका है।

कंपनी की अनुसंधान और विकास की गतिविधि न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (2)(ड) के अनुसरण में संबद्ध नियमों के फार्म बी के अंतर्गत अपेक्षित विवरण नहीं दिया गया है। कंपनी सेवा उद्योग में होने के कारण, प्रौद्योगिकी संविलयन, अनुकूलन या उन्नयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

Hkkjrh; gksVy fuxe fyfeVsM dh 'ks"k bdkb;ksa dh fLFkfr

'kQ;j ¶ykbV dSfjlZ] eqacbZ

एअर इंडिया लिमिटेड के बोर्ड के निर्णय के अनुसार, निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना एअर इंडिया के केटरिंग व्यवसाय का 30 प्रतिशत आश्वासित व्यवसाय शैफेयर को प्रदान किया गया।

lsaVkSj ysd O;w gksVy] Jhuxj

सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में निधि उपलब्ध कराते हुए केन्द्र सरकार ने सीएलवीएच, श्रीनगर के लिए वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में 5 करोड़ रुपए की संस्वीकृति दी है, जो इकाई के नवीकरण के लिए खर्च की जा सकती है। तदनुसार, इकाई को राज्य के अन्य स्टार होटल के समकक्ष लाने हेतु इकाई के उन्नयन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

lsVkj gksVy fnYyh ,oa 'kQ;j fnYyh

10 करोड़ रुपए की वर्ष 2012–13 की अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार, शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली (सीएफसीडी) तथा सेंटॉर होटल, दिल्ली एअरपोर्ट (सीएचडीए) का 5 करोड़ रुपए की लागत पर उन्नयन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित करते समय बोर्ड ने सूचित किया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) जैसी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से परामर्श किया जाए, जिन्होंने विद्यमान संपत्तियों के उन्नयन के लिए ऐसी परियोजनाओं पर कार्य किया है। तदनुसार, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात निक्षेपागार कार्य के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवीकरण का कार्य किया जा रहा है।

fofuo'k dk ckn dk ekeyk

सेंटॉर होटल, मुंबई एअरपोर्ट की निवल चालू परिसंपत्तियों के निपटान तथा अन्य दायित्वों के संबंध में दिए गए विवाचन अधिनिर्णय के विरुद्ध मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड द्वारा दायर की गई विवाचन याचिका अभी नियमित बोर्ड के सामने सुनवाई के लिए आनी बाकी है।

सेंटॉर होटल जुहू बीच के मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को बेचने के पश्चात निवल चालू परिसंपत्तियों के निपटान में हुए विवाद से संबंधित निपटान कार्यवाही के बारे में निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड – मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय निश्चित किया गया। तथापि, शासित मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन लंबित होने के कारण अधिनिर्णय को कार्यान्वित करना अभी बाकी है।

Hkkjr dk fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

ys[kkijh{kd

मैसर्स एम. ए. पारीख एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक हैं, जो कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण बैठक तक सेवानिवृत्त होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उन्हें वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

vkHkkj%

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए निदेशक उनकी प्रशंसा करते हैं। बोर्ड, नागर विमानन मंत्रालय और एअर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं बैंकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. /–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अक्तूबर 2014

vuqyXud 1

fuxfer 'kklu ij fjiksVZ

1- 'kklu lafgrk ij daiuh dh fopkj/kkjk

निगमित शासन संहिता पर भारतीय होटल निगम की निगमित विचारधारा स्टेकधारकों को पारदर्शिता, पूर्ण खुलासा, कर्मचारियों का सशक्तिकरण तथा सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित कराना है।

2- funs'kd&eaMy

वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुईं। 31 मार्च 2014 को बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री रोहित नन्दन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	–	अध्यक्ष
श्रीमती एम. सत्यवती अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	–	निदेशक
श्री एस. वेंकट निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड	–	निदेशक
श्री जी. अशोक कुमार संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	–	प्रबंध निदेशक

1 अक्तूबर 2014 को बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री रोहित नन्दन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	–	अध्यक्ष
श्रीमती एम. सत्यवती अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	–	निदेशक
श्री अरुण कुमार संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	–	निदेशक
श्री एस. वेंकट निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड	–	निदेशक
श्री सैयद नासिर अली संयुक्त प्रबंध निदेशक–एअर इंडिया लिमिटेड	–	प्रबंध निदेशक

वर्ष 2013–14 के दौरान श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन, श्री निखिल जैन, श्री (डॉ.) प्रभात कुमार की क्रमशः तारीख 19 नवम्बर 2013, 1 जनवरी 2014 तथा 5 मार्च 2014 से निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गई हैं।

श्री सैयद नासिर अली, संयुक्त प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटड को तारीख 10 अप्रैल 2014 से श्री जी. अशोक कुमार के स्थान पर भारतीय होटल निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। तत्पश्चात् श्री अरुण कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को तारीख 23 अप्रैल 2014 से कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड, श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन तथा श्री (डॉ.) प्रभात कुमार की निदेशक के रूप में तथा श्री निखिल कुमार जैन एवं श्री जी. अशोक कुमार की प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए सराहना करता है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों एवं वार्षिक साधारण बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने की।

funs'kdksa dk mÙkjnkf;Ro dFku%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में वास्तविक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं।
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से प्रयुक्त किया है तथा उन्होंने ऐसे निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और सही हैं कि वे 31 मार्च 2014 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही एवं निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

- निदेशकों ने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और योग्यता के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- निदेशकों ने गोइंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

ckM cBd] okf"kd lk/kkj.k cBd] okf"kd lk/kkj.k cBdk e funs'kdk dh mifLFkfr] funs'kd ink rFkk lfefr ink dk fooj.k fuEukuqlkj g%

ckM dh cBd

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर बोर्ड की चार बैठकें हुईं :

26 जून 2013	–	223वीं बैठक
20 सितम्बर 2013	–	224वीं बैठक
30 दिसम्बर 2013	–	225वीं बैठक
20 जनवरी 2014	–	226वीं बैठक

foRrh; o"k 2013&14 d nkjku ckM@'k;j/kkjdk dh cBdk e mifLFkfr lfgr funs'kdk dk C;kjk %

funs'kd dk uke	'kS{kf.kd vgrk,a	o"k d nkjku gbZ ckM dh cBdk e mifLFkfr	vU; dEifu;k e /kkfjr funs'kd ink dk fooj.k	lfefr;k e /kkfjr lnL;rk
श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	इतिहास में स्नातकोत्तर एवं यूके से एमबीए	4	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड अंशकालिक अध्यक्ष एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड निदेशक एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एअर मॉरिशस लिमिटेड तथा एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष वित्त समिति मा.सं. समिति स्ट्रैटेजिक समिति स्थायी रूप से आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति सदस्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति
श्री एन.के. जैन निदेशक (कार्मिक) एअर इंडिया लिमिटेड (1 जनवरी 2014 तक)	बी.टेक., आईआईटी रुड़की	3	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में सदस्य मा.सं. समिति निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति जनशक्ति पुनर्संरचना समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति

fun’kd dk uke	'k{kf.kd vgrk,	o"k ds nkjku gbl ckM dh cBdk e mifLFkfr	vU; diifu;k e /kkfjr fun’kd ink dk fooj.k	lfefr;k e /kkfjr lnL;rk
श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लिमिटेड (27 दिसम्बर 2013 से)	बी.कॉम., एफसीए, एफसीडबल्यूए, एफसीएस तथा सीपीए (यूएस)	2	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड तथा एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में सदस्य वित्त समिति विशेष आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति निरीक्षण समिति सहयोजित सदस्य स्ट्रैटेजिक समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति
सरकारी निदेशक				
श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (19 नवम्बर 2014 तक)	बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर	2	निदेशक एसएआईएल, आरआईएनएल, केआईओसीएल, एनएमडीसी, एमईसीओएन, पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष निरीक्षण समिति सदस्य वित्त समिति लेखापरीक्षा समिति स्ट्रैटेजिक समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति
डॉ. प्रभात कुमार संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय (5 मार्च 2014 तक)	एम.बी.बी.एस.	2	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति मा.सं. समिति स्ट्रैटेजिक समिति पारिश्रमिक समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति

funs'kd dk uke	'kS{kf.kd vgZrk,a	o"kZ ds nkSjku gqbZ cksMZ dh cSBdksa esa mifLFkfr	vU; dEifu;ksa esa /kkfjr funs'kd inksa dk fooj.k	lfefr;ksa esa /kkfjr lnL;rk
श्री जी. अशोक कुमार संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय (1 जनवरी 2014 से 10 अप्रैल 2014 तक)	बी.टेक.	1	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड	एअर इंडिया लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति मा.सं. समिति स्ट्रैटेजिक समिति पारिश्रमिक समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति
श्रीमती एम. सत्यवती अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (5 मार्च 2014 से)	एम.एससी. मैथ्स	शून्य	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड,	एअर इंडिया लिमिटेड में सदस्य लेखापरीक्षा समिति स्ट्रैटेजिक समिति वित्त समिति भारतीय होटल निगम लिमिटेड में अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति

3- cksMZ lfefr;ka

ys[kkijh{kk lfefr

वर्ष 2013–14 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया :

1. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – अध्यक्ष
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड – सदस्य
3. संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य
4. प्रबंध निदेशक, भारतीय होटल निगम – सदस्य
5. श्री एस. वेंकट, निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड – सदस्य
6. सुश्री श्यामला पी. कुंदर – सचिव

लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम, कुल संख्या का एक तिहाई या 2, जो भी अधिक हो, होगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें हुईं।

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :

- बाह्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्क तथा उससे संबंधित सभी मामलों पर विचार करना;
- लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा जब एक से अधिक लेखापरीक्षा फर्म सम्मिलित हों, तो उनमें समन्वयन सुनिश्चित करना।
- अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी समीक्षा करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाना।

- बोर्ड द्वारा पृष्ठांकित करने से पूर्व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर कंपनी के विवरण की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना एवं आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ पता लगाना कि क्या आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य एयरलाइन्स व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है तथा बोर्ड की इच्छानुसार अन्य किन्हीं मामलों पर विचार करना।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वार्षिक लेखों सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर दो बार बैठकें कीं :

1. 20 सितम्बर 2013 – 15वीं बैठक
2. 20 जनवरी 2014 – 16वीं बैठक

y[kkijh{kk lfefr dh cBdk e mifLFkfr

lnL; dk uke	cBdk e mifLFkfr dh l[;k
श्री रोहित नन्दन	2
श्री एस. मच्छेन्द्रनाथन, अध्यक्ष	1 – (20.09.2013)
श्री निखिल कुमार जैन	1 – (20.09.2013)
श्री जी. अशोक कुमार	1 – (20.01.2014)
श्री एस. वेंकट, निदेशक (वित्त) – एअर इंडिया लिमिटेड	1 – (20.01.2014)

4- fiNys rhu o"kk d nkjku vk;kftr okf"kd lk/kkj.k cBd

इन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

cBdk dh l[;k	cBd dh rkjh[k o le;	LFkku
40वीं वार्षिक साधारण बैठक	28 दिसम्बर 2011 को 1230 बजे	पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई – 400 029.
41वीं वार्षिक साधारण बैठक	19 दिसम्बर 2012 को 1230 बजे	पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई – 400 029.
42वीं वार्षिक साधारण बैठक	31 दिसम्बर 2013 को 1100 बजे	पहली मंज़िल, ट्रांसपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग, एअर इंडिया कॉम्प्लैक्स, ओल्ड एअरपोर्ट, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई – 400 029.

Hkkjrh; gkVy fuxe fyfeVM d 31 ekpZ 2014 dk lekIr o"kZ d y[kk ij diuh vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 619 ¼4½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkyi[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Hkkjrh; gkVy fuxe fyfeVM के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह बताया गया है कि उनकी तारीख 20 अक्तूबर 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत Hkkjrh; gkVy fuxe fyfeVM के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा की है। यह संपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखा खातों की चयनित जांच के साथ स्वतंत्र रूप से भी की गई है। अपनी संपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं :

y[kkijh{kdk dh fjiksV

तारीख 20 अक्तूबर 2014 की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के क्वॉलिफ़ाइड मत के पैरा ङ (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें लेखापरीक्षक ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को देय लीज़ किराए/टर्नओवर लेवी (25.63 करोड़ रुपए) तथा उस पर ब्याज (29.63 करोड़ रुपए) के ग़ैर–प्रावधान के संबंध में अपनी रिपोर्ट क्वॉलिफ़ाइड बताई है।

लीज़ किराए/टर्नओवर शुल्क तथा ब्याज के ग़ैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप तुलन–पत्र में दर्शाई गई 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' तथा 'लाभ एवं हानि लेखा खाता (डेबिट शेष) को प्रत्येकी 55.26 करोड़ रुपए कम आंका गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
vCnqy jkQ
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 30 दिसम्बर 2014

31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, dEiuh ds ys[kk ij dEiuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619¼4½ ds vUrxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka ij izca/ku ds mRrj

fVIif.k;ka	izca/ku ds mRrj
ys[kkijh{kd dh fjiksVZ तारीख 20 अक्तूबर 2014 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के क्वॉलिफ़ाइड मत के पैरा ङ (i) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें लेखापरीक्षक ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को देय लीज़ किराए/टर्नओवर लेवी (25.63 करोड़ रुपए) तथा उस पर ब्याज (29.63 करोड़ रुपए) के गैर–प्रावधान के संबंध में अपनी रिपोर्ट क्वॉलिफ़ाइड बताई है। लीज़ किराए/टर्नओवर शुल्क तथा ब्याज के गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप तुलन–पत्र में दर्शाई गई 'चालू देयताएं एवं प्रावधान' तथा 'लाभ एवं हानि लेखा खाता (डेबिट शेष)' को प्रत्येक 55.26 करोड़ रुपए कम आंका गया है।	तथ्यपरक विवरण। कंपनी ने लीज़ किराए/टर्नओवर लेवी तथा उस पर ब्याज के गैर–प्रावधान के बारे में 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां क्रम सं. 26 (क) तथा (ख) में पर्याप्त रूप से दर्शाई है।

Hkkjrh; gksVy fuxe fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy, ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

foRrh; fooj.kksa ij fjiksVZ

हमने भारतीय होटल निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी शामिल है।

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पूर्व लेखापरीक्षकों ने की है और कुछ मामलों के संबंध में उनकी रिपोर्ट पर हमने उपयुक्त विचार किया है।

foRrh; fooj.kksa ds fy, izca/ku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

ys[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोखिम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में विचार करता है, न कि कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में व्यक्त राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

er

क्वॉलिफ़ाइड मत का आधार :

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

लेखाकरण मानकों के अननुपालन के संबंध में :

क. टिप्पणी सं. 33 तथा 34 में संदर्भित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के ग़ैर–प्रावधान के संबंध में लेखाकरण मानक–6 ''मूल्यह्रास लेखाकरण''।

ख. टिप्पणी सं. 27 में संदर्भित अनंतिम आधार पर किए गए बिलिंग के संबंध में लेखाकरण मानक–9 ''राजस्व मान्यता''।

ग. टिप्पणी सं. 33 में संदर्भित परिसंपत्तियों के ग़ैर–लेखाकरण के संबंध में लेखाकरण मानक–10 ''स्थिर परिसंपत्तियों के लिए लेखाकरण''।

घ. टिप्पणी सं. 36(ख) में संदर्भित नई चिकित्सा सुविधा योजना के संबंध में देयताओं के ग़ैर–प्रावधान के बारे में लेखाकरण मानक–15 ''कर्मचारी हितलाभ''।

ङ. निम्नलिखित के संबंध में ग़ैर–प्रावधान के बारे में लेखाकरण मानक–29 'प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं तथा प्रासंगिक परिसंपत्तियां'' :

i टिप्पणी सं. 26 में संदर्भित लीज़ किराए/टर्नओवर लेवी तथा ब्याज पर भुगतान में हुए विलंब के लिए कुल मिलाकर क्रमशः 2562.91 लाख रुपए तथा 2962.59 लाख रुपए;

ii टिप्पणी सं. 30 में उल्लेख किए गए अनुसार भविष्य निधि प्राधिकारियों (दिल्ली) द्वारा दावा किया गया ब्याज तथा हर्जाना कुल मिलाकर 359.69 लाख रुपए;

iii टिप्पणी सं. 35 तथा 48 में बताए गए अनुसार बकाया सांविधिक देय राशि के बारे में ब्याज तथा दंड।

DokfyQkbM er%

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वॉलिफ़ाइड मत के लिए आधार वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2014 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;

ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि का; और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

ekeyk ij igy

1. कंपनी का निवल मूल्य पूर्णतः कम हुआ है।

1.1 कंपनी का गहरे वित्तीय तनाव में रहना जारी है, जो नीचे दर्शाया गया है :

क. व्यापार से प्राप्य 1932.18 लाख रुपए

ख. व्यापार देयताएं 810.59 लाख रुपए

ग. कर्मचारियों को देय 879.55 लाख रुपए

घ. सांविधिक देय 1270.90 लाख रुपए

उपर्युक्त के बावजूद, निम्नलिखित को देखते हुए इन लेखों को ''गोइंग कन्सर्न'' के आधार पर तैयार किया गया है, जैसा कि टिप्पणी सं. 52 में उल्लेख किया गया है :

प्रबंधन निम्नानुसार विभिन्न पहलों के माध्यम से कंपनी के पुनरुज्जीवन के लिए प्रतिबद्ध है :

i. भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 10 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी लगाई है तथा 12 करोड़ रुपए और लगाने के लिए अनुमोदन दिया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान शेयर जारी किए जाएंगे।

ii. भारत सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। 01 मार्च 2014 को 140 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक बचत हुई।

2. कंपनी ने व्यापार देयताएं, व्यापार से प्राप्य आदि से शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं की है, जैसाकि टिप्पणी सं. 45 तथा 46 में दर्शाया गया है।

3. टिप्पणी सं. 50 में संदर्भित इन्वेंटरी रिपोर्टिंग प्रणाली, राजस्व चक्र तथा प्रापण चक्र।

4. सामान्य तौर पर आंतरिक लेखापरीक्षा तथा विशेष रूप से हाथ में उपलब्ध पे ऑर्डर से संबंधित प्रक्रियाओं का सशक्तिकरण, जैसाकि टिप्पणी सं. 51 में दर्शाया गया है।

5. टिप्पणी सं. 32 में संदर्भित परिसंपत्तियों की हानि के संभाव्य नुकसान के निर्धारण के संबंध में लेखाकरण मानक 28 ''परिसंपत्तियों का नुकसान''।

6. टिप्पणी सं. 28 में संदर्भित कामगार तथा अधिकारी संवर्ग के साथ लंबित वेतन करार।

इन सभी मामलों के संबंध में हमारा मत क्वॉलिफ़ाइड नहीं है।

vU; ekey

हम वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार हैं :

1. टिप्पणी सं. 23 तथा 25 : ऋण तथा अग्रिम के संदर्भ में
2. टिप्पणी सं. 29 : पूंजीगत चालू कार्य के संदर्भ में
3. टिप्पणी सं. 47 : सांविधिक अननुपालन के संदर्भ में

इन सभी मामलों के संबंध में हमारा मत क्वॉलिफ़ाइड नहीं है।

vU; fofèkd ,o fofu;ked vis{kkvks ij fjiksVZ

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अधीन भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 ('कथित आदेश') द्वारा यथा संशोधित तथा कंपनी की बहियों एवं रिकॉर्डों की ऐसी जांच, जैसा कि हमने आवश्यक एवं उचित समझा है, के आधार पर तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
   (ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;
   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;
   (घ) क्वॉलिफ़ाइड मत के लिए आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों को छोड़कर हमारी राय में, तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;
   (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 22 मार्च 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1)(छ) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है; और
   (च) चूंकि, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अधीन भुगतान की जाने वाली उपकर की दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और न ही ऐसे उपकर का किस प्रकार से भुगतान किया जाना है, के बारे में कथित धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किए हैं, अतः कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।

,e- ,- ikjh[k ,.M dl-
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 107556डबल्यू

हस्ता./–
e|dqy iVsy
सदस्यता सं. 32489

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

yq[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqyXud

gekjh le fnukad dh fjiksVZ ds ^vU; fofèkd rFkk fofu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ* ds iSjk 1 esa lanfHkZr vuqyXud

1. *(क) कंपनी, अपनी स्थिर परिसंपत्तियों के संपूर्ण विवरणों, मात्रात्मक विवरणों एवं उनके स्थान से संबंधित रखे गए रिकॉर्डों का अद्यतन कर रही है। स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर से वित्तीय रिकॉर्डों का समाधान किया जा रहा है।*

   (ख) कंपनी अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का चरणबद्ध तरीके से अर्थात् दो वर्षों में एक बार वास्तविक सत्यापन करने का प्रस्ताव करती है। *तथापि, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।*

   (ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। *हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रबंधन द्वारा सत्यापन की आवृत्ति युक्तिसंगत एवं पर्याप्त नहीं है।*

   (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, *कंपनी के आकार तथा उसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया युक्तिसंगत एवं पर्याप्त नहीं है। आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में, जैसा कि टिप्पणी सं. 50 में दर्शाया गया है, इसे और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।*

   (ग) हमारी राय में तथा रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, *कंपनी अपनी इन्वेंटरी का उपयुक्त रिकॉर्ड नहीं रख रही है। स्टॉक के वास्तविक सत्यापन करने पर विसंगतियां पाई गईं, जो वास्तविक नहीं थीं, उन्हें लेखा–बहियों में दर्ज़ किया गया है (टिप्पणी सं. 50 देखें)।*

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिया है और न ही उन्हें दिया है। अतः आदेश के खंड iii के प्रावधान लागू नहीं होते।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, *कंपनी के आकार तथा उसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए सामग्री के क्रय एवं विक्रय के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं अनुरूप नहीं हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की प्रमुख कमियों को सुधारने में सतत विफलता दिखाई दी है* (टिप्पणी सं. 51 देखें)।

5. कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं नहीं की हैं। अतः आदेश के खंड v के प्रावधान लागू नहीं होते।

6. कंपनी ने अधिनियम की धारा 58क और 58कक तथा कंपनी (जमा स्वीकार्यता) नियम, 1975 के अंतर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड vi के प्रावधान लागू नहीं होते।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। *हमारी राय में, इसके दायरे तथा कवरेज को और अधिक बढ़ाने की ज़रुरत है, ताकि यह कंपनी के आकार एवं उसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप हो।*

8. हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के बारे में अधिनियम की धारा 209 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड अनुरक्षित करने के लिए विहित नहीं किया है।

9. (क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार, *भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर सहित अविवादित सुसंगत सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियां, यथाप्रयोज्य नियमित रूप से समुचित प्राधिकरणों में जमा नहीं की गई हैं। 31 मार्च 2014 को अपनी देय तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया सांविधिक देय राशि की सीमा निम्नानुसार है :*

¼jkf'k yk[k #i;ksa esa½	
ifjfu;e dk uke	**jkf'k ¼#-½**
कर्मचारी भविष्य निधि	175.55
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	1.09
कर्मचारी पेंशन निधि	20.89
संबंधित राज्यों का मूल्य वर्धित कर	106.72
संबंधित राज्य का सुख–साधन कर अधिनियम	173.13
संबंधित राज्यों का मनोरंजन कर	0.74
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अधिनियम	197.13
आयकर अधिनियम, 1961	0.47

नोट : सांविधिक देय राशि के संबंध में 'अवधि, जिसके लिए राशि देय है' तथा 'नियत तारीखों' से संबंधित जानकारी विस्तृत है और इसलिए उसे रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ख) सांविधिक देय राशि, जो विवाद तथा फोरम, जहां विवाद लंबित है, के कारण जमा नहीं की गई हैं, निम्नानुसार हैं :

¼jkf'k yk[k #i;ksa esa½

ifjfu;e dk uke	ns; jkf'k;ksa dk çdkj	fookfnr jkf'k (#-½	vof/k] ftlls jkf'k lacaf/kr gS	Qksje] tgka fookn yafcr gS
आयकर	कर	624.03	2003–04	उच्च न्यायालय
बिक्री कर	कर	18.93	2000–01	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	0.29		
	दंड	0.02		
	dqy	19-24		
बिक्री कर	कर	264.57	2001–02	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	169.41		
	दंड	15.82		
	घटाएं : प्रदत्त	20.00		
	dqy	429-80		
बिक्री कर	कर	216.63	2002–03	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	167.89		
	दंड	1.00		
	dqy	385-51		
मूल्य वर्धित कर	कर	65.52	2005–06	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त अपील
	ब्याज	69.61		
	दंड	65.52		
	dqy	200-65		
मूल्य वर्धित कर	कर	69.50	2006–07	आयुक्त (अपील)
	ब्याज	70.37		
	dqy	139-87		

ifjfu;e dk uke	ns; jkf'k;ksa dk çdkj	fookfnr jkf'k (#-½	vof/k] ftlls jkf'k lacaf/kr gS	Qksje] tgka fookn yafcr gS
मूल्य वर्धित कर	कर	43.84	2008–09	आयुक्त (अपील)
	ब्याज	24.66		
	दंड	43.84		
	dqy	112-34		
सुख–साधन कर	कर	1.35	1996–97	संयुक्त बिक्री कर आयुक्त
	ब्याज	0.21	1997–98	
	दंड	0.04	1999–00	
	dqy	1-60		
सुख–साधन कर	कर	86.80	2000–01	अपर बिक्री कर आयुक्त
	ब्याज	93.32		
	दंड	0.08		
	घटाएं : प्रदत्त	0.19		
	dqy	180-01		
सुख–साधन कर	कर	19.84	2002–03	बिक्री कर आयुक्त
	ब्याज	20.76		
	दंड	1.00		
	dqy	41-60		
सुख–साधन कर	कर	27.66	2010–11	सहायक आयुक्त, सुख–साधन कर
	ब्याज	11.20		
	दंड	2.84		
	dqy	41-70		
सुख–साधन कर	कर	(27.66)	2011–12	सहायक आयुक्त, सुख–साधन कर
	ब्याज	61.67		
	दंड	3.15		
	dqy	37-16		
उत्पाद शुल्क	कर	197.28	2005	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त–अपील अधिकरण, मुंबई

10. *वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि इसके निवल मूल्य से 50% अधिक है। कंपनी को ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के साथ–साथ इस वर्ष के दौरान नकद हानि हुई है।*

11. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक से कोई उधार नहीं लिया है अथवा डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश का खंड xi का प्रावधान लागू नहीं होता।

12. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए ज़मानत के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है। अतः आदेश का खंड xii का प्रावधान लागू नहीं होता।

13. कंपनी कोई चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के खंड xiii के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवहार या सौदा नहीं करती। अतः आदेश का खंड xiv का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है। अतः आदेश का खंड xv का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

16. कंपनी ने सावधि ऋण के माध्यम से (अपनी होल्डिंग कंपनी को छोड़कर) कोई निधि उधार नहीं ली है। अतः आदेश का खंड xvi का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, 31 मार्च 2014 के कंपनी के तुलन–पत्र की संपूर्ण जांच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है।

18. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है। अतः आदेश का खंड xviii का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। अतः आदेश का खंड xix का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है। अतः आदेश का खंड xx का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

21. हमारी जानकारी और विश्वास तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आकार एवं उसके प्रचालन के स्वरूप को देखते हुए, वर्ष के दौरान हमें कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई महत्वपूर्ण सूचना या रिपोर्ट न मिली है और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की सूचना दी गई है।

,e- ,- ikjh[k ,.M d-
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 107556डबल्यू

हस्ता./–
e|d|y iV|y
सदस्यता सं. 32489

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

31 ekpZ 2014 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	fVIi.kh la-	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
bfDoVh vkSj nkf;Ro,a			
'ks;j/kkjdksa dh fuf/k;ka			
शेयर पूंजी	3	**506,000,000**	406,000,000
आरक्षित निधि और अधिशेष	4	**(1,416,400,392)**	(1,011,663,856)
		(910,400,392)	(605,663,856)
xSj&pkyw nkf;Ro,a			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	**978,100,170**	287,262,571
अन्य ग़ैर–चालू देयताएं	8	**47,359,780**	44,638,522
दीर्घावधि प्रावधान	6	**308,842,733**	372,832,340
		1,334,302,683	704,733,433
pkyw nkf;Ro,a %			
अन्य अल्पावधि देयताएं	5	**18,209,928**	26,807,041
व्यापार देय	7	**81,059,060**	99,794,851
अन्य चालू देयताएं	8	**435,363,390**	462,251,191
अल्पावधि प्रावधान	6	**139,535,417**	235,676,631
		674,167,795	824,529,715
dqy		**1,098,070,086**	923,599,292
ifjlEifRr;ka			
xSj&pkyw ifjlEifRr;ka			
स्थिर परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	9	**305,537,097**	322,633,529
पूंजीगत चालू कार्य		**1,014,395**	1,014,395
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	10	**274,369,123**	318,522,985
		580,920,615	642,170,909
pkyw ifjlEifRr;ka			
इन्वेंटरी	12	**22,396,689**	22,530,826
व्यापार प्राप्य	11	**193,218,425**	112,729,168
नकदी एवं नकदी समानक	13	**137,501,870**	12,851,987
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	10	**164,032,487**	133,316,402
		517,149,471	281,428,383
dqy		**1,098,070,086**	923,599,292
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश	2		

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

,e- ,- ikjh[k ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 107556डबल्यू

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
v#.k dqekj
निदेशक

हस्ता./–
eqdqy iVsy
भागीदार
सदस्यता सं. 32489

हस्ता./–
';keyk ih- dnj
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अक्तूबर 2014

31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ dk ykHk vkSj gkfu fooj.k

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	fVIi.kh la-	2013&14	2012–13
lrrÁpkyu			
vk;			
प्रचालनों से राजस्व	14	**484,211,477**	452,804,289
अन्य आय	15	**20,818,287**	10,836,922
विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव, निवल		**-**	4,519
dqy jktLo		**505,029,764**	463,645,730
O;;			
उपभुक्त कच्ची सामग्री की लागत	16	**92,183,824**	85,539,106
कर्मचारी हितलाभ	17	**571,420,944**	533,535,768
वित्त लागत	19	**54,862,398**	202,628
मूल्यह्रास/परिशोधन व्यय	9	**18,442,816**	17,618,029
अन्य व्यय	18	**187,346,210**	174,562,115
dqy O;;		**924,256,192**	811,457,645
dj iwoZ ykHk		**(419,226,427)**	(347,811,916)
viokndkjh en			
– स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित प्रतिलिखित अधिक प्रावधान		**(16,466,472)**	(47,850)
– मध्यस्थ अधिनिर्णय		**5,406,100**	-
– पूर्वावधि समायोजन (निवल)		**(3,429,520)**	8,389,397
o"kZ ds fy, ykHk@¼gkfu½		**(404,736,535)**	(356,153,463)
Áfr bfDoVh 'ks;j vtZu			
Áfr 'ks;j ewy ,oa ruqÑr vtZu		**(87.37)**	(87.72)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश	2		
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां			

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

,e- ,- ikjh[k ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 107556डबल्यू

हस्ता./–
eqdqy iVsy
भागीदार
सदस्यता सं. 32489

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
v#.k dqekj
निदेशक

हस्ता./–
';keyk ih- dqnj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अक्तूबर 2014

31 ekpl 2014 dks lekIr o"kZ dk udnh iokg fooj.k

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	31 ekpl 2014 dks	31 मार्च 2013 को
d- Ápkyu xfrfof/k;ksa ls udnh Áokg		
dj iwoZ ykHk@¼gkfu½	(404,736,535)	(356,153,462)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास (निवल)	17,884,778	17,618,029
प्रभारित ब्याज	54,862,398	202,628
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-	(22,999)
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	7,397,172	-
ब्याज से आय	(5,219,310)	(1,671,190)
dk;Z'khy iwath ifjorZuksa ls iwoZ Ápkyu gkfu	(329,811,497)	(340,026,994)
dk;Z'khy iwath dk lpyu %		
व्यापार और अन्य प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(64,518,503)	2,850,071
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)	134,137	(340,008)
व्यापार एवं अन्य देय में वृद्धि	425,755,792	324,907,483
Ápkyuksa ls ÁkIr udnh	31,559,929	(12,609,448)
प्रदत्त कर	9,930,147	7,504,135
Ápkyu xfrfof/k;ksa ls vftZr@¼Á;Dr½ fuoy udnh ¼d½	21,629,781	(20,113,583)
[k- fuos'k lacaf/kr xfrfof/k;ksa ls udnh Áokg		
स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय (निवल)	(788,348)	(919,943)
प्राप्त ब्याज	5,219,310	1,671,190
fuos'k lacaf/kr xfrfof/k;ksa ls iz;Dr fuoy jkf'k ¼[k½	4,430,962	751,247
x- foRrh;u xfrfof/k;ksa ls udnh Áokg		
इक्विटी शेयर जारी करने से	100,000,000	-
प्रदत्त ब्याज	(1,410,860)	(202,628)
foRrh;u xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh ¼x½	98,589,140	(202,628)
udnh vkSj udnh lerqY; esa fuoy of)@¼deh½ ¼d$[k$x½	124,649,883	(19,564,965)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी शेष	12,851,987	32,416,952
o"kZ ds var esa udnh vkSj cSad 'ks"k	137,501,870	12,851,987
बैंक में विशेष प्रयोजन के लिए शेष	4,049,880	4,049,880
cSad esa lkof/k tek ¼12 ekg ls vf/kd vof/k dh ifjiDork vof/k dh½	17,202,304	702,304
o"kZ ds var esa udnh vkSj udnh lerqY;	116,249,686	8,099,803

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

,e- ,- ikjh[k ,.M daiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 107556डबल्यू

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
v#.k dqekj
निदेशक

हस्ता./–
eqdqy iVsy
भागीदार
सदस्यता सं. 32489

हस्ता./–
';keyk ih- daqnj
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अक्तूबर 2014

foRrh; fooj.kksa ds Hkkx ds :i esa fVIif.k;ka

fVIi.kh ^^1^^ % fuxfer tkudkjh

होटल उद्योग में प्रवेश की दृष्टि से भारतीय होटल निगम लिमिटेड को एअर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 08 जुलाई 1971 को सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारतीय होटल निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले होटल दिल्ली तथा श्रीनगर में तथा फ्लाइट किचन मुंबई एवं दिल्ली में हैं।

fVIi.kh ^^2^^ % egRoiw.kZ y[kkdj.k uhfr;ksa dk lkjka'k

d½ lkekU;

लेखे, गोइंग कन्सर्न के आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार किए जाते हैं।

[k½ vk; v©j 0;; dh ekU;Rkk

i) हेल्थ क्लब से होने वाली आय को छोड़कर, जिसका लेखा–जोखा नकद आधार पर किया जाता है, आय और व्यय का लेखा–जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

ii) विक्रय की राशि में, ग्राहकों के बीजकों की राशि, निवल व्यापारिक छूट शामिल है।

x½ fLFkj ifjlaifRRk;ka

i) स्थिर परिसंपत्तियां ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं।

ii) कई वर्षों तक चलने वाली संविदाओं के मामले में, लागत अनुमानों में हुए संशोधन उस लेखा अवधि में दर्शाए जाते हैं, जिसमें संशोधन मूर्त होते हैं।

iii) पट्टेवाली भूमि को पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

?k½ ewY;gkl

i) निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, पट्टे की अवधि को ध्यान में रखे बगैर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर एवं उसी रूप में स्ट्रेट लाइन पद्धति से आनुपातिक आधार पर उनके समाहित किए जाने के महीने से किया जाता है।

- 1 अप्रैल 1982 से पूर्व प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में, स्थिर परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी काल की दरों पर।
- 1 अप्रैल 1982 से 2 अप्रैल 1987 तक प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों पर।
- वर्ष के दौरान 5,000/– रुपए से कम लागत की खरीदी गई/स्थापित परिसंपत्तियों को उनकी खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

M-½ ifj'k©eku

i) नई यूनिट के लिए पहली बार खरीदे गए किचन उपकरण चार वर्षों में समान रूप से बट्टे खाते में डाले जाते हैं। इसके बाद के वर्षों में खरीदे गए उपकरण खरीद के वर्ष में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

ii) नई यूनिट/बृहत् नवीकरण हेतु पहली बार खरीदे गए कालीन खरीद के वर्ष में स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किए गए हैं तथा ऊपर पैरा 4 में निर्देशित स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रासित किए गए हैं। परवर्ती वर्षों में खरीदे गए कालीन, खरीद के वर्ष में सॉफ्ट फर्निशिंग के रूप में बट्टे खाते में डाले गए।

iii) भारी परदे, जारी करने के वर्ष में बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

p½ fuekZ.k vofèk ds n©jku 0;; dk fu:i.k

सभी राजस्व व्यय, जो कि निर्माणाधीन परियोजनाओं से सीधे संबंधित हैं, उन्हें निर्माण के दौरान व्यय के रूप में अलग रखा जाता है और जिस वर्ष के दौरान उन परिसंपत्तियों का उपयोग शुरू किया जाता है, उस वर्ष में पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

N½ fons'kh eqæk l0;ogkj

i) विदेशी मुद्रा शेष को, तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii) चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं से संबंधित विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में अंतरित किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्रा में संग्रहण लेन–देन को, बैंक में जमा करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के हिसाब से रुपए में परिवर्तित किया जाता है।

t½ bUoiVjh dk eY;kdu

वस्तुओं के खराब होने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन कमरों में लिनेन, कटलरी तथा क्रॉकरी तथा आउटलेटों के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है और इनका मूल्यांकन उपयोग की अवधि को ध्यान में रखे बगैर लागत पर किया जाता है।

>½ lokfuofRRk yk“

i) उपदान और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान तुलन–पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की गणना कंपनी द्वारा योजना की घोषणा के वर्ष और कर्मचारियों द्वारा उसे स्वीकार करने के वर्ष में की जाती है।

´½ fuo’k

दीर्घावधि निवेश, यदि कोई हों तो, के मूल्य में स्थायी ह्रास कम कर, लागत पर दर्शाया गया है। वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन लागत के निम्नतर या सही बाज़ार मूल्य पर किया जाता है।

V½ n;Rkk,i v©j Ákoèkku

i) कंपनी, विवाचन के अधीन दावों को प्रासंगिक देयता के रूप में मानती है।

ii) कंपनी के विरुद्ध दिए गए विवाचन के अधिनिर्णय के व्यय को, जिनके लिए अपील को अधिमान्यता दी गई है, अंतिम निपटान के वर्ष में लेखाकृत किया गया है।

iii) विभिन्न प्राधिकरणों/पक्षकारों से प्राप्त कारण बताओ नोटिसों को प्रासंगिक देयताएं नहीं माना जाता है। तथापि, जब ऐसी नोटिसों के मुकाबले मांग–सूचनाएं भेजी जाती हैं व यदि कंपनी स्वीकार लेती है, तो इन मांगों को या तो अदा कर दिया जाता है या उन्हें देयताएं मान लिया जाता है और जब कंपनी इन्हें विवादित मानती है, तो उन्हें प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

iv) बकाया चालू देयताओं का आवधिक तौर पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया, अगर भुगतान योग्य न समझा जाए, तो उसे अन्य आय में अंतरित किया जाता है।

B½ iokofèk lek;®Tku

केवल, 25,000/– रुपए प्रति लेन–देन से अधिक के मामलों में, पूर्व वर्ष(र्षों) से संबंधित व्यय/आय को, पूर्वावधि मदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

M½ lfnXèk _.kk dk fy, x.kuk

सरकार, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों का प्रावधान केवल तब किया जाता है, जब वे विशिष्ट रूप से संदिग्ध समझे जाते हैं। अन्य सभी ऋणों का प्रावधान किया जाता है, यदि वे 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं या विशिष्ट रूप से संदिग्ध हैं।

<½ djkèkku dk fy, x.kuk

i) संबंधित अवधि के लिए कर योग्य आय हेतु देय कर की राशि के रूप में वर्तमान कर निर्धारित किया गया है।

ii) एक अवधि में आरंभ होकर एक या अधिक परवर्ती के आधार पर अवधियों में उत्क्रमण योग्य, कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच समय अंतरों पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की, विवेक के अधीन पहचान की जाती है और उन्हें यथोचित सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है, ताकि इस बात की उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सके। यह लेखाकरण मानक–22 ''आय पर करों के लिए लेखाकरण'' के अनुसरण में है।

.k½ vkdyuk dk Á;®x

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आकलन और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, राजस्व और व्यय की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणामों एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम मैटिरियलाइज़ होते हैं।

r½ fLFkj ifjlEifRr;ksa dh {kfRk

वर्ष के अंत में इस संकेत को ध्यान में रखते हुए कंपनी निर्धारित करती है कि जहां स्थिर परिसंपत्तियों पर क्षति हानि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए कि कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 द्वारा विहित परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखाकरण मानक 28 के अनुसार क्षति हानि हुई होती, जहां किन्हीं स्थिर परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसके वर्तमान मूल्य से कम हो, तो अंतर के संबंध में स्थिर परिसंपत्तियों पर क्षति हानि का प्रावधान किया गया है।

fVIi.kh ^^3^^ % 'kS;j iw¡th

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
izkf/kÑr 'ks;j iwath		
51,00,000 (पिछले वर्ष – 41,00,000) प्रत्येक 100/–रुपए के इक्विटी शेयर	**510,000,000**	410,000,000
dqy	**510,000,000**	410,000,000
fuxfer] vfHknRr vkSj iw.kZr% inRr 'ks;j		
50,60,000 (पिछले वर्ष–40,60,000) प्रत्येक 100/– रुपए के इक्विटी शेयर	**506,000,000**	406,000,000
	-	-
dqy	**506,000,000**	406,000,000

टिप्पणी : वर्ष के दौरान, कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय के तारीख 30 मार्च 2013 के आदेश के अनुसार 'भारत के राष्ट्रपति' के नाम से 10,00,00,000 रुपए के कुल मिलाकर प्रत्येक 100/– रुपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं।

fVIi.kh 3 d- fjiksfVZax vof/k ds vkjEHk vkSj vUr esa cdk;k 'ks;jksa dk lek/kku

¼jkf'k #i, esa½

bfDoVh 'ks;lZ	31 ekpZ 2014 dks		31 मार्च 2013 को	
	la[;k	jkf'k	संख्या	राशि
अवधि के आरंभ में	**4,060,000**	**406,000,000**	4,060,000	406,000,000
अवधि के दौरान जारी	**1,000,000**	**100,000,000**	-	-
vof/k ds vUr esa cdk;k	**5,060,000**	**506,000,000**	4,060,000	406,000,000

कंपनी के पास 100/– रुपए प्रति शेयर सममूल्य वाले केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपयों में लाभांश घोषित करती है और उसकी अदायगी करती है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में सभी अधिमानी राशि के वितरण के बाद, कंपनी की शेष बची परिसंपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे।

fVIi.kh 3 [k- gksfYMax@vfUre gksfYMax dEiuh ,oa mudh lgk;d dEifu;ksa@lg;ksfx;ksa }kjk /kkfjr 'ks;lZ

कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों में से इसकी होल्डिंग कंपनी तथा अंतिम होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
भारत के राष्ट्रपति	**1,000,000**	
एअर इंडिया लिमिटेड	**4,060,000**	4,060,000

fVIi.kh 3 x- dEiuh esa 5% ls vf/kd 'ks;j /kkfjr djus okys 'ks;j/kkjdksa dk fooj.k

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks		31 मार्च 2013 को	
	la[;k	%	संख्या	%
भारत के राष्ट्रपति	**1,000,000**	**19.76**	-	-
एअर इंडिया लिमिटेड और इसके नामिती	**4,060,000**	**80.24**	4,060,000	100%
	5,060,000	**100%**	4,060,000	100%

fVIi.kh ^^4** % vkjf{kr fuf/k;ka vkSj vf/k’k"k

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
ykHk vkSj gkfu fooj.k esa vf/k’k"k@¼?kkVk½		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष	**(1,011,663,857)**	(655,510,394)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(404,736,535)**	(356,153,463)
o"kZ ds var esa 'ks"k	**(1,416,400,392)**	(1,011,663,857)

fVIi.kh ^^5** % vU; ns;rk,a

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	xSj&pkyw		pkyw	
	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
संबद्ध पार्टी को देय राशि	**943,642,576**	277,673,220	**-**	-
शेयर पूंजी के बदले में अग्रिम (टिप्पणी सं. 52 देखें)	**-**	-	**16,500,000**	-
जमा	**34,457,594**	9,589,352	**1,509,697**	26,344,584
अन्य : प्रतिधारण राशि	**-**	-	**200,231**	462,457
dqy	**978,100,170**	287,262,572	**18,209,928**	26,807,041

टिप्पणी : यह एअर इंडिया लिमिटेड, संबंधित पार्टी को देय राशि दर्शाता है तथा संपुष्टि तथा समाधान के अधीन है।

fVIi.kh ^^6** % iko/kku

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	xSj&pkyw		pkyw	
	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
उपदान	**231,412,270**	272,724,405	**34,934,767**	38,186,307
कर्मचारियों को देय	**-**	-	**87,955,030**	171,951,752
छुट्टी का नकदीकरण	**77,430,463**	83,641,464	**16,645,620**	20,250,000
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए देय	**-**	16,466,472	**-**	-
फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	5,288,572
dqy	**308,842,733**	372,832,341	**139,535,417**	235,676,631

fVIi.kh ^^7** % 0;kikj ns;rk,a

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
0;kikj ns;rk,a	81,059,060	99,794,851
dqy	**81,059,060**	99,794,851

fVIi.kh ^^8** % vU; pkyw ns;rk,a

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	xSj&pkyw		pkyw	
	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
vU; ns;rk,a				
सांविधिक देय राशि	**-**	-	**127,090,384**	127,494,857
देय पट्टा किराया तथा टर्नओवर लेवी	**-**	-	**190,932,893**	170,363,914
बकाया देयताएं	**-**	-	**41,852,785**	67,935,511
ग्राहकों से अग्रिम	**-**	-	**51,496,547**	51,799,199
जम्मू एवं कश्मीर सरकार को देय	**44,729,538**	44,638,522	**-**	-
अन्य देयताएं	**2,630,242**	-	**23,990,781**	44,657,710
dqy	**47,359,780**	44,638,522	**435,363,390**	462,251,191

fVIi.kh ^^9** % ewrZ ifjlaifRr;ka

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	Hkwfe ¼iV~Vs ij½	Hkou ¼iV~Vs dh Hkwfe ij½	la;a= vkSj e'khujh	QuhZpj vkSj fQDlpj	okgu	dykRed oLrq,a	dqy
ykxr ;k ewY;kadu							
1 vizSy 2013 dks	2,708,800	334,963,420	268,541,833	173,931,812	27,495,291	774,250	808,415,407
परिवर्धन	-	-	**658,908**	**137,255**	-	-	**796,163**
निपटान	-	-	(7,815)	-	-	-	**(7,815)**
31 ekpZ 2014 dks	**2,708,800**	**334,963,420**	**269,192,926**	**174,069,067**	**27,495,291**	**774,250**	**809,203,755**
ewY;ßkl@ifj'kks/ku	Hkwfe ¼iV~Vs ij½	Hkou ¼iV~Vs dh Hkwfe ij½	la;a= vkSj e'khujh	QuhZpj vkSj fQDlpj	okgu	dykRed oLrq,a	dqy
1 vizSy 2013 dks	923,590	109,329,258	212,777,224	142,801,594	19,175,974	774,240	485,781,880
वर्ष के लिए प्रभार	**27,500**	**4,560,759**	**7,937,817**	**3,791,683**	**2,125,057**	**-**	**18,442,816**
समायोजन	**(27,362)**	**-**	**10,923**	**5,149**	**569,328**	**-**	**558,038**
31 ekpZ 2014 dks	**978,452**	**113,890,017**	**220,704,117**	**146,588,128**	**20,731,703**	**774,240**	**503,666,658**
fuoy Cykd 31 मार्च 2013 को	1,785,210	225,634,162	55,764,609	31,130,221	8,319,317	10	322,633,529
31 ekpZ 2014 dks	**1,730,348**	**221,073,403**	**48,488,809**	**27,480,939**	**6,763,588**	**10**	**305,537,097**

टिप्पणी :

1. भवनों (पट्टे की भूमि पर) में स्वामित्ववाले फ्लैट का मूल्य शामिल है :–
   i) शेर–ए–पंजाब सोसाइटी के 9 लाख रुपए (लागत पर) (पिछले वर्ष 9 लाख रुपए) इसके हस्तांतरण विलेख/करार निष्पादित करने हेतु लंबित है, क्योंकि मामला निर्णयाधीन है। सोसाइटी द्वारा शेयर प्रमाण–पत्र जारी नहीं किए गए हैं।
   ii) एवरेस्ट अपार्टमेंट्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 10 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 इक्विटी शेयर) के मूल्य के रूप में 500/– रुपए (पिछले वर्ष 500/–रुपए)
2. श्रीनगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी की संपत्ति के बारे में नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं है, क्योंकि संबंधित नायब तहसीलदार से कंपनी के पक्ष में अधिकार के अभिलेख प्राप्त कर लिए गए हैं। भूमि के कुछ हिस्से का एक स्कूल द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए कंपनी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

fVIi.kh ^^10** % _.k rFkk vfxze

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	xSj&pkyw		pkyw	
	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च 2013 को
कर्मचारियों को ऋण	-	-	**946,583**	1,559,061
अग्रिम आयकर	**121,927,240**	168,107,186	**-**	-
संपत्ति की बिक्री के कारण प्राप्य (टिप्पणी सं. 21 ख (i एवं ii), टिप्पणी सं. 22 एवं 23 देखें)	**23,167,503**	23,167,503	**-**	-
जमा	**8,316,633**	9,321,214	**-**	-
होल्डिंग कंपनी से देय	**-**	-	**47,789,991**	29,032,166
पूर्वप्रदत्त व्यय	**-**	-	**2,461,385**	3,256,627
अन्य प्राप्य अग्रिम	**-**	-	**12,350,586**	14,930,248
जम्मू एवं कश्मीर सरकार से प्राप्य	**120,957,747**	117,927,083	**-**	-
अन्य ऋण तथा अग्रिम	**-**	-	**103,187,363**	86,975,089
	274,369,123	318,522,986	**166,735,908**	135,753,191
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	-	**(2,703,421)**	(2,436,791)
	274,369,123	318,522,986	**164,032,487**	133,316,400
उपर्युक्त राशि निम्नानुसार उप–वर्गीकृत की गई है :				
अरक्षित, शोध्य मानी गई	**274,369,123**	318,522,986	**166,735,908**	135,753,191
संदिग्ध	**-**	-	**(2,703,421)**	(2,436,791)
dqy	**274,369,123**	318,522,986	**164,032,487**	133,316,400

टिप्पणी : कंपनी, यथासमय संदिग्ध अग्रिमों के लिए कथित प्रावधान में अधिकता/कमी को समायोजित करने की दृष्टि से तदनुरूप ऋणों तथा अग्रिमों के सम्मुख संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

fVIi.kh ^^11** % 0;kikj lsa iksI;

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	2013&14	2012–13
0;kikj lsa iksI;		
भुगतान की नियत तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया		
अरक्षित, शोध्य मानी गई	**69,225,479**	48,100,544
संदिग्ध	**16,096,890**	14,894,729
अन्य प्राप्य		
अरक्षित, शोध्य मानी गई	**123,992,946**	64,628,624
	209,315,315	127,623,897
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**(16,096,890)**	(14,894,729)
dqy	**193,218,425**	112,729,168

fVIi.kh ^^12** % bUosUVjh

¼jkf'k #i, esa½

fooj.k	2013&14	2012–13
कच्ची सामग्री	**3,190,552**	2,658,392
भंडार	**3,075,071**	6,135,129
प्रचालन आपूर्तियां	**16,131,066**	13,737,305
dqy	**22,396,689**	22,530,826

fVIi.kh ^^13** % udnh vkSj cSd 'ks"k

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	2013&14	2012–13
udnh vkSj udnh lekud		
cSd esa 'ks"k %		
चालू खाते में	**53,311,010**	3,625,394
सावधि जमा खाते में	**62,683,310**	20,968
हाथ में/ट्रांज़िट में चैक	**-**	4,302,437
हाथ में नकदी	**255,366**	151,004
vU; 'ks"k		
बैंक में सावधि जमा खाते में (सरकारी निकायों के पास गिरवी रखी हुई)	**4,049,880**	4,049,880
बैंक में सावधि जमा खाते में (12 माह से अधिक परिपक्वता)	**17,202,304**	702,304
dqy	**137,501,870**	12,851,987

fVIi.kh ^^14** % ifjpkyuksa ls jktLo

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	2013&14	2012–13
gksVyksa vkSj ¶ykbV fdpu ls jktLo		-
कमरे – अतिथि आवास	**180,743,644**	208,114,429
भोजन, सिगार और सिगरेट	**224,857,560**	198,006,896
अन्य सेवाएं	**58,385,382**	26,117,172
दुकानों और कार्यालयों का लाइसेंस शुल्क	**18,683,452**	18,236,290
पेय (वाइन और लिकर)	**1,386,355**	1,967,388
टैलेक्स और टेलीफोन	**155,084**	362,115
dqy	**484,211,477**	452,804,290

fVIi.kh ^^15** % vU; vk;

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	2013&14	2012–13
ब्याज से आय	**5,219,310**	1,671,190
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ (निवल)	**-**	22,999
प्रतिलिखित अधिक प्रावधान	**9,454,344**	5,942,228
बट्टे खाते में डाला गया फुटकर शेष	**2,125,167**	-
स्क्रैप की बिक्री/अन्य	**4,019,466**	3,200,505
dqy	**20,818,287**	10,836,922

fVIi.kh ^^16** % mi;Dr dPph lkexh dh ykxr

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	2013&14	2012–13
mi;Dr [kk| lkexh ¼flxkj vkj flxjV lfgr½		
प्रारंभिक स्टॉक	**1,818,888**	1,723,375
जोड़ें : खरीद	**96,314,049**	80,640,567
अंतिम स्टॉक	**10,745,129**	1,725,049
	87,387,808	80,638,893
i; ¼okbu vkj fydj½		
प्रारंभिक स्टॉक	**350,775**	462,256
जोडें : खरीद	**262,264**	320,157
अंतिम स्टॉक	**115,722**	350,775
	497,317	431,638
HkMkj rFkk vkifr;k dh [kir		
प्रारंभिक स्टॉक	**9,730,502**	8,501,676
जोडें : खरीद	**7,233,389**	5,508,665
	16,963,892	14,010,341
अंतिम स्टॉक	**12,665,193**	9,541,766
	4,298,698	4,468,575
miHkDr dPph lkexh dh ykxr dqy	**92,183,824**	85,539,106

fVIi.kh ^^17** % deZpkjh fgrykHk

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	2013&14	2012–13
वेतन, मज़दूरी और अन्य हितलाभ	**410,738,061**	403,398,057
उपदान	**66,002,998**	53,754,979
छुट्टी नकदीकरण	**29,813,224**	17,255,955
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**44,254,588**	42,199,223
कर्मचारी कल्याण व्यय	**19,962,593**	16,037,632
बोनस	**649,481**	889,922
dqy	**571,420,944**	533,535,768

fVIi.kh ^^18** % vU; O;;

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	2013&14	2012–13
बिजली और ईंधन	**97,950,718**	93,680,972
किराया एवं लाइसेंस शुल्क	**22,352,970**	24,670,650
प्रतिभूति प्रभार	**11,858,913**	10,968,084
मरम्मत और अनुरक्षण :		
भवन	**3,762,169**	4,427,992
संयंत्र तथा मशीनरी	**4,073,842**	6,385,370
अन्य	**4,174,272**	5,816,409
विविध व्यय	**13,118,427**	7,936,600
यात्रा एवं सवारी		
यात्रा	**342,737**	259,397
सवारी	**1,256,441**	962,732
वाहन व्यय	**6,279,495**	5,051,734
सॉफ्ट फर्निशिंग	**2,352,606**	1,959,627
दरें और कर	**5,109,631**	5,082,913
मुद्रण और लेखन–सामग्री	**1,890,392**	1,774,011
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	**1,755,038**	1,493,184
संचार लागत	**1,640,484**	1,508,464
बीमा	**1,370,627**	1,061,596
विज्ञापन एवं प्रचार	**181,943**	433,977
कमीशन	**148,027**	313,076
लेखापरीक्षक को भुगतान (कृपया नीचे दी गई टिप्पणी देखें)	**330,305**	376,847
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**2,276,202**	-
अशोध्य ऋण	**5,120,970**	398,480
dqy	**187,346,210**	174,562,115

ys[kkijh{kd dks Hkqxrku		
लेखापरीक्षा के लिए	**173,265**	176,405
अन्य सेवाओं के लिए	**-**	114,180
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	**157,040**	86,262
dqy	**330,305**	376,847

fVIi.kh ^^19** % foRrh; ykxr

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	2013&14	2012–13
– ब्याज पर व्यय	**54,862,398**	202,628
dqy	**54,862,398**	202,628

31-03-2014 dks lekIr o"kZ ds fy, foRrh; fooj.kksa ds Hkkx ds :i esa fVIif.k;k

¼jkf'k #i, esa½

Ø- l- fooj.k		2013-14	2012-13
20.	पूंजीगत लेखे पर निष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया (मोबिलाइज़ेशन अग्रिम का कुल)	**405,000**	1,405,000
21.	निम्नलिखित के संबंध में प्रासंगिक देयताएं :		
d½	कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	**74,370,429**	19,017,000
[k½	विवाचन के अधीन दावे :		
i)	मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) सेंटॉर होटल, जुहू बीच के क्रेता ने निवल चालू परिसंपत्तियों के लिए 3.33 करोड़ रुपए का प्रतिदावा किया है, जिसे कंपनी द्वारा विवादित माना गया है, क्योंकि निवल चालू परिसंपत्तियों तथा क्रेता की अन्य बाध्यताओं का निपटारा तारीख 11.3.2002 के बिक्री करार की शर्तों के अनुसार होना था तथा इस मामले में कथित करार के अनुसार, क्रेता द्वारा 0.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और तदनुसार, उसे निवल चालू परिसंपत्तियों के लेखे में प्राप्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि, कुछ मुद्दों पर मतैक्य नहीं था, इसलिए अधिनिर्णय के बारे में नागर विमानन मंत्रालय को लिखा गया था। उनकी सलाह के अनुसार इस मामले को कंपनी और मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। कंपनी और मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) के बीच कई बैठकें आयोजित की गईं। 2 करोड़ रुपए (0.50 करोड़ रुपए के ब्याज सहित) हेतु निवल चालू परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए मध्यस्थ की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई हैं, जिनका अनुमोदन प्रतीक्षित है। (टिप्पणी संख्या 31 देखें)	**20,000,000**	33,300,000
ii)	मुंबई एअरपोर्ट में सेंटॉर होटल के क्रेता मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (जिसे पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा निवल चालू परिसंपत्तियों का 2.36 करोड़ रुपए का प्रतिदावा कंपनी द्वारा विवादित माना गया था, क्योंकि निवल चालू परिसंपत्तियों और क्रेता के अन्य दायित्वों का निपटान 18.4.2002 के बिक्री करार के अनुसार किया जाना था। पिछले वर्ष माननीय विवाचन अधिकरण ने अपना अधिनिर्णय दिया, जिसके तहत क्रेता को ब्याज सहित 1.88 करोड़ रुपए और विधिक लागत के रूप में 0.40 करोड़ रुपए की राशि अंतिम रूप से अदा करनी थी। तथापि, क्रेता ने अधिनिर्णय के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की, जो अंतिम सुनवाई के लिए अभी लंबित है। कंपनी ने लेखा–बहियों (टिप्पणी सं. 31 देखें) में 1.88 करोड़ रुपए की राशि को रिकॉर्ड किया है।	**18,800,000**	18,800,000
iii)	प्रबंधन ठेके करार को मैसर्स बी.डी. एण्ड पी होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15.9.2010 को निष्पादित किया गया तथा पार्टी ने 10 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा तथा 1.08 करोड़ रुपए की समानुपातिक न्यूनतम गारंटी राशि जमा की है। तथापि, प्रबंधन ठेके के अंतर्गत होटल सौंपने से पहले नागर विमानन मंत्रालय से अनुदेश प्राप्त हुए और भारत सरकार के सचिवों की समिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि, जम्मू और कश्मीर सरकार ने कंपनी को ज़मीन लीज़ पर दी है, अतः प्रबंधन ठेका व्यवहार्य नहीं था। अतः निदेशक–मंडल के अनुमोदन के पश्चात् 26/09/2011 से प्रबंधन ठेका करार समाप्त किया गया तथा सुरक्षा जमा व न्यूनतम गारंटी राशि पार्टी को वापस की गई। उसके बाद पार्टी ने विवाचन के अवलंबन के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में रिट दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने पार्टी की अपील मंजूर की और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने करार की समाप्ति को चुनौती दी है तथा कंपनी से 341 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 18% प्रतिशत ब्याज का दावा किया है, विवाचन सुनवाई जारी है।	**3,410,000,000**	-

(राशि रुपए में)

क्र. सं.		विवरण	2013-14	2012-13
iv)		कंपनी के विरुद्ध हुए अधिनिर्णय के मामले के लिए अपील की गई है और अंतिम निपटान के लिए लंबित है।	**1,062,000**	1,062,000
ग)		सीमा शुल्क प्राधिकारियों को दी गई गारंटियां	**300,000**	300,000
घ)	i)	आयकर प्राधिकारियों के दावे, जिनके लिए विभाग ने अपील की है।	**62,403,000**	-
	ii)	आयकर प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई धन–वापसी से रक्षित दो संपत्तियों अर्थात् सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट एवं सेंटॉर होटल जुहू बीच की बिक्री से पूंजी लाभ, जिसे कंपनी ने अधिकरण में विवादित माना है, के बारे में आयकर विभाग प्राधिकरणों के दावों, जिसके लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2002–03 (मूल्यांकन वर्ष 2003–04) में आयकर विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों में अपील दायर की है।	**-**	62,403,000
	iii)	विवादित बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर देयता, जिसके लिए कंपनी ने विभिन्न प्राधिकरणों में अपील की है (इसमें वर्ष 2002–03 में दो संपत्तियों अर्थात् सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट और सेंटॉर होटल जुहू बीच की बिक्री के लिए ''स्लम्प सेल'' पर बिक्री कर की मांग शामिल है, जिसके लिए कंपनी ने 59,92,628/– रुपए (पिछले वर्ष 73,82,000/– रुपए) जमा किए हैं)।	**132,622,241**	119,399,241
	iv)	सुख–साधन कर प्राधिकरणों के दावे, जिनके लिए कंपनी ने विभिन्न प्राधिकरणों में अपील की है (इसमें वर्ष 2002–03 में दो संपत्तियां अर्थात् सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट और सेंटॉर होटल जुहू बीच के लिए सुख–साधन कर की मांग शामिल है) जिसके लिए कंपनी ने 6,06,863/– रुपए (पिछले वर्ष 6,06,863/– रुपए) जमा किए हैं ।	**30,226,000**	35,937,000
	v)	उत्पाद शुल्क के दावे, जिनके लिए कंपनी ने अपील की है।	**19,728,246**	19,728,246
ङ)		कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे	**राशि अनिर्धारित**	राशि अनिर्धारित

22. वर्ष 2002 में सेंटॉर होटल जुहू बीच की बिक्री के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने होटल की संपत्ति से संलग्न 1810 वर्ग मीटर भूमि, जो महाराष्ट्र सरकार ने पट्टे पर दी थी और जिस पर निर्माण नहीं किया जाना था तथा जिसका उपयोग केवल बगीचे के लिए ही किया जाना था, के हस्तांतरण पर मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से देय प्रीमियम पर 4.48 करोड़ रुपए की राशि का दावा किया है। कंपनी द्वारा उसे राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के सामने विवादित माना गया है। राज्य सरकार के तारीख 01 जून, 2014 के आदेश द्वारा उक्त प्रीमियम का भुगतान करने के निदेश मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को दिए गए हैं, जिसे उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

23. कंपनी ने वर्ष 2002–03 के दौरान सेंटॉर होटल जुहू बीच और सेंटॉर होटल मुंबई एअरपोर्ट दोनों यूनिटों के संबंधित खरीदारों को अंतरित निवल चालू परिसंपत्तियों के कारण 0.43 करोड़ रुपए और 2.98 करोड़ रुपए को क्रमशः मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) तथा मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (इससे पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से प्राप्य होने योग्य राशि को लेखाकृत किया है। मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) तथा मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (इससे पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), दोनों खरीदारों का इस पर विवाद है। मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (इससे पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के बारे में विवाचन अधिनिर्णय के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि 1.88 करोड़ रुपए तथा 0.40 करोड़ रुपए कानूनी लागत है। लेखों को 1.88 करोड़ रुपए के अधिनिर्णय की सीमा तक उचित रूप से समायोजित किया गया है। प्रबंधन की राय में, मैसर्स ट्यूलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस लिमिटेड (इस समय मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से 0.43 करोड़ रुपए तथा मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (इससे पहले मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से 1.88 करोड़ रुपए की प्राप्त होने वाली राशि शोध्य मानी गई है तथा कमी, यदि कोई है, को सक्षम प्राधिकारी/मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अंतिम निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

¼jkf'k #i, e½

Ø- l-	fooj.k	2013-14	2012-13
24.	कंपनी ने मुंबई एअरपोर्ट स्थित सेंटॉर होटल के कनेक्टेड शॅफ्ट और कॉरीडॉरों सहित 60 अतिथि कमरों के नवीकरण और 60 अतिरिक्त अतिथि कमरों के लिए मैसर्स गुलराज इंजीनियरिंग के साथ करार किया था। इस पार्टी के साथ कतिपय विवाद और मतभेद निर्मित हुए थे और राशि का निपटान नहीं किया गया। तदनुसार, 1.03 करोड़ रुपए की राशि का दावा करते हुए मध्यस्थता खंड आहत किया गया। 14.01.2009 को 5.81 लाख रुपए के लिए मध्यस्थ का अधिनिर्णय प्राप्त हुआ, जिसका पार्टी को विधिवत भुगतान किया गया। तत्पश्चात, पार्टी ने विषयगत अधिनिर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अधिनिर्णय को अपास्त किया गया तथा एकमात्र मध्यस्थ को वापस किया गया। एकमात्र मध्यस्थ ने तारीख 31 मार्च 2013 को 40.12 लाख रुपए तथा भुगतान किए जाने की तारीख तक उस पर ब्याज के साथ अतिरिक्त अधिनिर्णय प्रस्तुत किया है। तदनुसार कंपनी ने देयता का स्वीकार किया है तथा 31 मार्च 2014 को अधिनिर्णय के लिए निधि उपलब्ध कराया गया है, जिसका भुगतान किया जा चुका है।	**5,406,100**	9,718,776
25.	कंपनी और जम्मू व कश्मीर सरकार (जे एण्ड के) के बीच सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के निर्माण की लागत तथा होटल और शेर–ए–कश्मीर कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) के बीच लागत के बंटवारे से संबंधित मामलों पर 15 अक्तूबर 2004 को हुई संयुक्त बैठक में दोनों पार्टियां सहमत हुई थीं और भिन्न मतों वाले सभी मामलों का निपटान किया गया था।		
	i) लागत बंटवारा व्यवस्था – एसकेआईसीसी के साथ लागत बंटवारा व्यवस्था के संबंध में जम्मू व कश्मीर सरकार से 791.83 लाख रुपए की राशि प्राप्य है।		
	ii) संयुक्त निर्माण के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को 396.76 लाख रुपए की राशि देय है तथा इस संबंध में 417.75 लाख रुपए की राशि प्राप्य है।		
	ये शेष समाधान और संपुष्टि के अधीन है।		
26.	क) वर्ष के दौरान, 163/– रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टा किराया और वार्षिक टर्नओवर के 2% की दर से, टर्नओवर लेवी के रूप में निम्नलिखित को देय राशि का प्रावधान लाभ और हानि विवरण में किया गया है :		
	i) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के लिए मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को	**5,792,367**	4,811,255
	ii) सेंटॉर होटल दिल्ली एअरपोर्ट और शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को	**14,983,206**	14,983,206
	[k½ निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया गया है :		
	i) 2 मई 2006 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय पट्टा किराया और टर्नओवर लेवी	**202,766,494**	202,766,494
	ii) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुंबई के लिए 3 मई 2006 से मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को देय पट्टा किराए का अंतर	**8,385,174**	7,319,685
	iii) सेंटॉर होटल दिल्ली एअरपोर्ट एवं शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के लिए 3 मई 2006 से दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को देय पट्टा किराए का अंतर	**45,139,523**	37,532,470
	iv) उपर्युक्त पर ब्याज :		
	क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय	**144,569,603**	130,945,277
	ख) मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड को देय	**34,412,458**	26,858,851
	ग) दिल्ली इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड को देय	**117,276,878**	89,572,094
27.	एअर इंडिया से स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनंतिम आधार पर किए गए बिलों का विवरण निम्नानुसार है :	**-**	-

¼jkf'k #i, e½

Ø- l- fooj.k	**2013-14**	2012-13

i) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के लिए केटरिंग तथा हैंडलिंग राजस्व

क) वास्तविक बिल करने योग्य डेटा की अनुपलब्धता के कारण गतिविधि स्तर तथा 25 मई 2009 से पूर्व अवधि के लिए लागू दरों के आधार पर 25 मई 2009 से 30 नवंबर 2012 की अवधि के लिए राजस्व अनंतिम रूप से 9.20 करोड़ रुपए लेखा–बहियों में लिखा गया था। तदोपरांत, गतिविधि स्तर के साथ–साथ होल्डिंग कंपनी द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर सूचना प्राप्त होने के बाद मार्च 2013 से बिलिंग आरंभ किया गया और अभी भी जारी है।

ख) वास्तविक बिल करने योग्य डेटा की अनुपलब्धता के कारण गतिविधि स्तर तथा नवंबर 2012 से पूर्व लागू दरों के आधार पर दिसंबर 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए 102.17 लाख रुपए का राजस्व अनंतिम रूप से लेखा–बहियों में लिखा गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल मिला कर 138.52 लाख रुपए वास्तविक राजस्व लेखा–बहियों में लिखा है, जिसके परिणामस्वरूप 36.34 लाख रुपए के राजस्व की वृद्धि हुई, जिसे लाभ एवं हानि विवरण में पूर्वावधि मद के रूप में प्रकट किया गया है।

ii) केटरिंग एवं हैंडलिंग राजस्व के संबंध में बिलिंग प्रक्रिया के नवीकरण के कारण निम्नलिखित स्थानों पर बिलिंग अनंतिम आधार पर की गई है।

क) एअर इंडिया लाउंज टी3 के संबंध में अक्तूबर, 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुल मिलाकर 2.08 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा–बहियों में लिखा गया है।

ख) शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली के संबंध में जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए अनंतिम रूप से कुल मिलाकर 0.74 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा–बहियों में लिखा गया है।

अनंतिम बिलिंग तथा अंतिम बिलिंग के मूल्य के बीच के अंतर को एअर इंडिया द्वारा जिस वर्ष में पूरा तथा स्वीकृत किया जाएगा उस वर्ष में अभिनिश्चित/समायोजित किया जाएगा।

28. कामगारों के साथ किया गया वेतन–करार 31.12.2006 को समाप्त हो गया है। यूनियनों ने 31.12.2011 को समाप्त 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी चार्टर ऑफ डिमांड प्रस्तुत की है। इसी प्रकार, अधिकारियों के काडर के संबंध में वेतन परिशोधन 01.01.2007 को देय है, जो 10 वर्षों की अवधि के लिए होगा।

सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को लागू लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के मार्गनिर्देशों को देखते हुए, हानि उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को कोई वेतन परिशोधन अनुमोदित नहीं किया जाएगा। अतः चूंकि, कंपनी वित्तीय वर्ष 2003–04 से हानि उठा रही है, वेतन परिशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

29. शैफेयर, दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 10,14,395 रुपए की लागत की एक हाई लिफ्ट – टाटा चासीस प्राप्त की है। प्रचालन को देखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं के साथ सुसंगत बनाने हेतु इसे तारीख 21 मार्च 2009 को शैफेयर, मुंबई में स्थानांतरित किया गया। वित्तीय संकट के कारण इस प्रक्रिया को अत्यधिक विलंब हुआ तथा इसलिए 31 मार्च 2014 को इसे चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाना जारी रखा गया है। कंपनी की यह राय है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान इस परिसंपत्ति को उपयोग में लाया जाएगा।

30. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सेंटॉर, दिल्ली तथा शैफेयर दिल्ली द्वारा क्रमशः अप्रैल 2008 से दिसंबर 2012 तक तथा अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान किए गए विलंबित भुगतान की राशि पर कुल मिलाकर 35,968,543 रुपए के ब्याज/हर्ज़ाने की मांग की है। उक्त विलंब के लिए माफी हेतु कंपनी ने प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी को सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा होने के कारण उक्त 35,968,543 रुपए की राशि के ब्याज/नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

¼jkf'k #i, esa½

Ø- l-	fooj.k	2013-14	2012-13

31. स्थिर परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के लिए निर्धारित नीति के अनुसार कंपनी प्रत्येक दो वर्षों में एक बार अर्थात् 2014–2016 की ब्लॉक अवधि के लिए प्रत्येक स्थिर परिसंपत्ति का सत्यापन करने की प्रक्रिया में है। जब कभी ऐसे सत्यापन पर रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तब आवश्यक लेखाकरण समायोजन, यदि कोई हो, उसे यथासमय पूरा किया जाएगा।

32. लेखाकरण मानक (एएस–28) 'परिसंपत्तियों की क्षति' के अंतर्गत परिकल्पित के अनुसार, कंपनी संपत्तियों की संभाव्य क्षति हानि का मूल्यांकन कर रही है। यदि मूल्यांकन द्वारा ऐसी किसी 'परिसंपत्तियों की क्षति' को दर्शाया जाता है, तो क्षति की हानि को निपटान के वर्ष में दर्शाया जाएगा।

तथापि, प्रबंधन की राय में कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों का रखाव मूल्य उनके वसूली योग्य राशि से कम नहीं है, अतः स्थिर परिसंपत्तियों की क्षति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33. वर्ष के दौरान, कंपनी को भारत सरकार से सेंटॉर होटल दिल्ली एअरपोर्ट, शैफेयर दिल्ली तथा सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के नवीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। कंपनी ने उपर्युक्त संपत्तियों के नवीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता–ज्ञापन किया है तथा उसके लिए कंपनी ने जून 2013 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम तौर पर दी है। कंपनी को 31 मार्च 2014 तक कुछ उपस्कर प्राप्त हुए हैं। किए गए कार्य/प्राप्त उपस्कर के संबंध में कोटेशन, क्रय आदेश, वेंडर बिल, स्थापना रिपोर्ट आदि से संबंधित समर्थक प्रमाण 31 मार्च 2014 को प्राप्त न होने के कारण कंपनी अपनी बहियों में परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड नहीं रख सकी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण जब कभी प्राप्त होंगे, कंपनी 10 करोड़ रुपए के अग्रिम को समायोजित करेगी। तदनुसार, 31 मार्च 2014 को अथवा उसके पूर्व स्थापित की गई किसी परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान स्थापना की तारीख से वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध कराया जाएगा।

34. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यह्रास के परिकलन को सुकर बनाने के लिए कुछ स्थिर परिसंपत्तियों की शेष आयु का निर्धारण करना बाकी है। तदनुसार रिकॉर्डों के समाधान के पश्चात् इसके प्रभाव का पता लगाया जाएगा तथा लेखांकन किया जाएगा, जिस पर कार्य चल रहा है।

35. कंपनी को उसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि 89.02 करोड़ रुपए पर देय 5.34 करोड़ रुपए के ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती लागू नहीं हो सकती, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने उनके वित्त लागतों पर प्रतिपूर्ति के रूप में उसका दावा किया है। तदनुसार, कंपनी ने स्रोत पर कर कटौती नहीं की है। तथापि, यदि कर कटौती की जानी है, तो इस स्थिति में कंपनी, जब कभी कटौती की जानी है, तब देयता रिकॉर्ड करेगी।

36. deZpkjh fgrykHk %

d½ ifjHkkf"kr fgrykHk ;kstuk & minku ¼vfufèkc)½

d½ fgrykHk ckè;rk esa ifjorZu %

	2013-14	2012-13
वर्तमान अवधि के आरंभ में हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**310,910,712**	280,504,383
ब्याज लागत	**24,872,857**	23,842,873
वर्तमान सेवा लागत	**10,042,355**	9,036,692
पिछली सेवा लागत – अनिहित हितलाभ	**-**	-
पिछली सेवा लागत – निहित हितलाभ	**-**	-
आंतरिक अंतरित देयता	**-**	-
(बाह्य अंतरित देयता)	**-**	-
(प्रदत्त हितलाभ)	**(109,896,903)**	(6,660,613)
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**30,418,016**	4,187,377

¼jkf'k #i, e½

Ø- l- fooj.k		2013-14	2012-13
	oRkeku vofèk d vRk e fgRkyk" ckè;Rkk dk oRkeku eY;	**266,347,037**	310,910,712
[k½	lØe.kdkyhu n;Rkk dh ekU;Rkk %		
	अवधि के आरंभ में मान्यतारहित संक्रमणकालीन देयता	**-**	-
	अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त संक्रमणकालीन देयता	**-**	-
	vofèk d vRk e ekU;RkkjfgRk lØe.kdkyhu n;Rkk	**-**	-
x½	Rkyu&i= e n'kkb xb jkf'k %		
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
	अवधि के अंत में हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**266,347,037**	310,910,712
	निधिबद्ध स्थिति	**-**	-
	अवधि के अंत में मान्यतारहित पिछली सेवा लागत	**-**	-
	अवधि के अंत में मान्यतारहित संक्रमणकालीन देयता	**-**	-
	Rkyu&i= e n'kkb xb ekU;RkkÁkIRk fuoy n;Rkk	**266,347,037**	310,910,712
?k½	yk" v©j gkfu fooj.k e ekU;RkkÁkIRk 0;; %		
	वर्तमान सेवा लागत	**10,042,355**	9,036,692
	ब्याज लागत	**24,872,857**	23,842,873
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	**30,418,016**	4,187,377
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त अनिहित हितलाभ	**-**	-
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त निहित हितलाभ	**-**	-
	अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त संक्रमणकालीन देयता	**-**	-
	yk" v©j gkfu fooj.k e ekU;RkkÁkIRk 0;;	**65,333,228**	37,066,942
3½	Rkyu&i= lekèkku %		
	प्रारंभिक निवल देयता	**310,910,712**	280,504,383
	उपर्युक्तानुसार व्यय	**65,333,228**	37,066,942
	आंतरिक अंतरित निवल	**-**	-
	बाह्य अंतरित निवल	**-**	-
	नियोक्ता का अंशदान	**(109,896,903)**	(6,660,613)
	Rkyu&i= e ekU;RkkÁkIRk fuoy n;Rkk	**266,347,037**	310,910,712
p½	iokuekU %		
	पिछली छूट की दर	**8.50%**	8.50%
	पिछली वेतन वृद्धि	**5.00%**	5.00%
	पिछला क्षयण दर	**2.00%**	2.00%
	वर्तमान छूट की दर	**9.29%**	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	**5.00%**	5.00%
	वर्तमान क्षयण दर	**2.00%**	2.00%

[k½ कंपनी ने 01 मार्च 2014 तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नई चिकित्सा सुविधा योजना (सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रतिपूर्ति योजना) आरंभ की है। उक्त योजना स्वैच्छिक तथा अंशदायी है। उक्त योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एकबारगी अप्रतिदेय अंशदान करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी को 31 मार्च 2014 तक 112 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से 26.30 लाख रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई है।

लेखाकरण मानक 15 (एएस–15) ''कर्मचारी हितलाभ'' के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु योजना के अधीन देयता का वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवश्यक विवरण का संकलन करने की प्रक्रिया में है। देयता को यथासमय निर्धारित किया जाएगा।

37. कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अंतर्गत लेखाकरण मानक 17 ''सैगमेंट रिपोर्टिंग'' के अनुसार अनुलग्नक ''I'' में सैगमेंट जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

¼jkf'k #i, e½		
Ø- l- fooj.k	**2013-14**	2012-13
38. lc) ikVhZ ÁdVu %		
लेखाकरण मानक–18 ''संबद्ध पार्टी प्रकटन'' के अनुसार संबद्ध पार्टी संव्यवहार के प्रकटनों का विवरण निम्नानुसार है, सिवाय राज्य नियंत्रित उद्यमों के, जिन्हें मानक के खंड 9 के अनुसार प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।		
क. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और संबंधी		
ख. संबद्ध पार्टी संव्यवहार		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ है।		
ग. वर्ष के अंत में, कंपनी के निदेशकों अथवा अधिकारियों या उनके संबंधियों के साथ ऋण अथवा क्रेडिट में कोई भी ऐसे लेन–देन बाकी नहीं थे, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लेखों में बताया जाना अपेक्षित है।		
घ. होल्डिंग कंपनी – एअर इंडिया लिमिटेड		
o"k d: n©jku l0;ogkj %		
बिक्री	**364,481,091**	285,885,742
vfRke '®"k %		
देनदार (सीएफसीडी फ्यूचर बिलिंग के लिए 4.90 करोड़ रुपए अग्रिम का निवल प्राप्त)	**123,573,855**	27,581,849
एअर इंडिया को देय	**890,175,120**	277,673,220
अन्य (प्राप्य आर्थिक सहायता)	**48,054,742**	29,032,166
39. प्रचालन पट्टा करार के अंतर्गत देय न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है (लेखाकरण मानक–19 – पट्टा) :		
एक वर्ष से पहले	**91,016**	91,016
एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष से पहले	**364,064**	364,064
5 वर्ष के बाद	**5,652,966**	5,743,982
40. कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के तहत निर्धारित लेखाकरण मानक–22 के अनुसरण में, आय पर करों के लिए लेखाकरण लागू है। आस्थगित कर परिसंपत्ति विचाराधीन है तथा उनको केवल उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि जहां तक पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो। वास्तविक निश्चितता की अनुपलब्धता में, आस्थगित कर परिसंपत्ति को लेखा–बहियों में नहीं दर्शाया गया है।		
41. vTku ÁfRk '®;j %		
i) वर्ष के लिए निवल हानि	**(404,736,535)**	(356,153,463)
ii) भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	**4,632,603**	4,060,000
iii) प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	**100**	100
iv) प्रति शेयर मूल और तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	**(87.37)**	(87.72)

42. i) वर्ष 2011–12 के दौरान एअर इंडिया द्वारा शैफेयर दिल्ली को नई दिल्ली स्थित आईजीआई एअरपोर्ट पर टर्मिनल 3 में लाउंज के पूंजीगत व्यय कार्य करने के लिए 1 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी गई। तथापि, सेंटॉर दिल्ली द्वारा सुख–साधन कर देय राशि का भुगतान न करने के कारण प्राधिकारियों ने 23 फरवरी, 2012 को पांच बैंक खाते फ्रीज़ कर दिए और 107,79,353 रुपए की राशि कथित देयता के रूप में समायोजित की गई। खातों को उस समय से डिफ्रीज़ किया गया है।

ii) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकारियों ने 15 फरवरी 2013 को सात बैंक खाते फ्रीज़ किए तथा मार्च 2014 तक इन खातों का फ्रीज़ रहना जारी है। प्राधिकारियों ने सुख–साधन कर के कारण कंपनी की देयताओं के प्रति इन खातों में सभी जमा को विनियोजित करना जारी रखा। बहियों के अनुसार, 31 मार्च 2014 को कंपनी की देयता 265,82,745 रुपए है, जो समाधान तथा संपुष्टि के अधीन है।

¼jkf'k #i, eas½

Ø- l- fooj.k	2013-14	2012-13
43. ''सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम, आपूर्तिकर्ताओं के नामों की पहचान तथा उनका संकलन किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।		
44. सितंबर, 2014 के दौरान मुसलाधार वर्षा तथा दाल लेक में आई बाढ़ के कारण श्रीनगर स्थित कंपनी की संपत्ति का नुकसान हुआ। जब कभी बाढ़ का पानी कम होगा, कंपनी नुकसान का अनुमान लगाएगी।		
45. कंपनी ने फुटकर देनदारों, खुदरा लेनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों, जमा, अन्य देयताओं, बैंक जमा तथा कुछ बैंक खातों के संबंध में शेष की संपुष्टि नहीं की है। तदनुसार, ऐसे खाते उनके संबंधित खाता शेष के अनुसार शेष को दर्शाते हैं और समाधान के अधीन है और इसलिए परिणामी समायोजन के प्रभाव को अभिनिश्चित करते समय दर्शाया जाएगा।		
46. विविध देनदारों में संबंधित पार्टी (होल्डिंग कंपनी – एअर इंडिया लिमिटेड) के 12.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.76 करोड रुपए) शामिल हैं, जो समाधान और संपुष्टि के अधीन हैं।	**126,067,386**	27,581,849
47. कंपनी ने कई सारे सांविधिक अनुपालनों का पालन नहीं किया है। हर एक परिनियम से संबद्ध यथार्थ अतिशोध्य अवधि से संबंधित जानकारी इस समय अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके फलस्वरूप, गैर–अनुपालन के कारण देयता को अभिनिश्चित किया जाएगा तथा जब कभी देयता उत्पन्न होती है, तब यथासमय उसकी पहचान कराई जाएगी।	jkf'k vfuèkkfjr	jkf'k vfuèkkfjr
48. कंपनी ने सेंटॉर दिल्ली के लिए भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, जीवन बीमा, सुख–साधन कर, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर के कुल 1304.54 लाख रुपए (पिछले वर्ष 594.01 लाख रुपए), शैफेयर दिल्ली के लिए भविष्य निधि, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर और जीवन बीमा के कुल 318.57 लाख रुपए (पिछले वर्ष 224.84 लाख रुपए) और शैफेयर मुंबई के लिए मूल्य वर्धित कर तथा सेवा कर के कुल 30.03 लाख रुपए (पिछले वर्ष भविष्य निधि 63.82 लाख रुपए) से संबंधित सांविधिक देय अदा नहीं किए हैं। भुगतान के वर्ष में इन बकाया राशियों पर देय ब्याज और अर्थदंड की गणना की जाएगी।	**165,313,298**	88,267,000
49. कंपनी की राय में, चालू परिसंपत्तियों और ऋणों व अग्रिमों (सिवाय जिन्हें अशोध्य समझा गया है) को कंपनी के सामान्य व्यवहार के दौरान यदि वसूला जाता है, तो लगभग दर्शाए गए मूल्य का है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यक युक्तिसंगत राशि से अधिक नहीं है।		
50. कंपनी निम्नलिखित की प्रक्रिया में है :		
क) कंपनी मदवार भंडार रिकॉर्डों के संचलन और भंडार लेजर के विन्यास के लिए रिपोर्ट निर्मित करने में इन्वेंटरी रिपोर्टिंग प्रणाली को सहज बना रही है। ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्ष के अंत में यह सुनिश्चित किया जा सके कि भंडार रिकॉर्ड के अनुसार खपत का वित्तीय रिकॉर्डों के साथ पूर्ण रूप से समाधान किया जाता है और विधिवत् समायोजन किया जाता है। पारेषण लेखा की सामग्री का भी समाधान किया जा रहा है।		
ख) राजस्व के लीकेज को रोकने तथा राजस्व चक्र पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेअर आधारित बिलिंग तथा बिलिंग की मैनुअल प्रणाली के बीच कुछ स्थानों पर बिलिंग त्रुटियों की विसंगतियों में सुधार करना।		
ग) क्रय द्वारा राजस्व लीकेज तथा दुरुपयोग को रोकने तथा प्रापण एवं खपत चक्रों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जांच तथा शेषों की प्रणाली को बनाए रखने के लिए निर्माणकर्ता तथा जांचकर्ता प्रक्रिया आरंभ करना।		
51. कंपनी निम्नलिखित की प्रक्रिया में है :		
क) कंपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण कर रही है, ताकि सभी क्षेत्रों का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और कंपनी की सभी यूनिटों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।		
ख) कैशियर के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षक/अधिकारियों द्वारा हाथ में नकदी, चैक, ड्राफ्ट आदि के जांच की बारंबारता की समीक्षा करना।		

¼jkf'k #i, esa½

Ø- l- fooj.k	**2013-14**	2012-13

ग) सभी लेन देन की पारदर्शकता तथा लेखा–बहियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, इसका सुनिश्चय करने के लिए नकद, चैक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि से संबंधित लेन–देनों के बारे में मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित करना।

52. xksbax dUlu%

कंपनी प्रचालनात्मक हानियों जैसे विविध कारकों के कारण गंभीर नकदी की कमी की समस्या से जूझ रही है, जिससे अनेक बाहरी और भीतरी कारकों के कारण हाल ही के वर्षों में इसके वित्तीय तथा प्रचालनात्मक निष्पादन प्रभावित हुए हैं। कंपनी की निवल संपत्ति से संचित हानि बढ़ गई है। कंपनी ने देनदारों, लेनदारों और उसके कर्मचारियों को विलंब से भुगतान किया है ।

तथापि, कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार (जीओआई) की सहायता से बिजनेस प्लान के निर्धारण से कंपनी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए वचनबद्ध है। कंपनी के प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार तथा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रबंधन ने विभिन्न पहल की हैं, जिससे कि वित्तीय निष्पादन में सुधार हो सके। इसके अलावा, कंपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान अपनी सभी परिसंपत्तियों का उन्नयन करने वाली है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 में 10 करोड़ रुपए की इक्विटी का निवेश किया है तथा 31 मार्च 2014 को 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को अनुमोदित किया है, जिसके लिए वर्ष 2014–15 में शेयर जारी किए जाएंगे। इसका उपयोग दिल्ली तथा श्रीनगर स्थित परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए किया जाना है।

मंत्रिमंडल, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, 01 मार्च 2014 को कंपनी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 की गई। 01 मार्च 2014 को 140 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की बचत होगी।

53. fons'kh eqæk esa vTkZu ,oa O;; ¼Ákn~Hkou vkèkkj ij½

विदेशी मुद्रा में अर्जन	**341,805**	2,946,000

54. वर्तमान वर्ष के साथ मिलान के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

,e- ,- ikjh[k ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 107556डबल्यू

हस्ता./–
eqdqy iVsy
भागीदार
सदस्यता सं. 32489

स्थान : मुंबई
तारीख : 20 अक्तूबर 2014

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
v#.k dqekj
निदेशक

हस्ता./–
';keyk ih- dksnj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अक्तूबर 2014

vulyXud&I

o"k 2013&14 d fy, lxeVokj lpuk

fooj.k	gkVy	¶ykbV fdpu	vU;	dly
1 lxeV jktLo				
(क) रुम बिक्री	**180,743,644**	**-**		**180,743,644**
	(208,114,429)	-		(208,114,429)
(ख) खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री	**48,025,509**	**178,218,406**		**226,243,915**
	(62,906,219)	(137,068,064)		(199,974,283)
अन्य सेवाएं	**28,222,659**	**49,001,259**		**77,223,918**
	(9,903,079)	(16,576,207)		(26,479,286)
विविध आय	**7,622,816**	**8,289,569**	**4,905,902**	**20,818,287**
	(23,891,876)	(3,989,888)	(1,195,967)	(29,077,731)
कुल राजस्व	**264,614,628**	**235,509,235**	**4,905,902**	**505,029,764**
	(304,815,603)	(157,634,159)	(1,195,967)	(463,645,729)
2 lHkh lxeVk d dly jktLo d ifr'kr d :i e iR;d lxeV dk dly jktLo	**52**	**47**	**1**	**100**
	(66)	(32)	(2)	(100)
3 lxeV ifj.kke				
हानि वाले सभी सैगमेंटों के	**(213,932,190)**	**(195,710,249)**	**4,905,904**	**(404,736,535)**
संयुक्त परिणाम	(146,154,336)	(211,195,094)	1,195,967	(356,153,463)
4 lxeV ifj.kke	**53**	**48**	**(1)**	**100**
	(41)	(59)	-	(100)
5 lxeV ifjlifRr;k				
स्थिर परिसंपत्तियां	**280,625,139**	**23,160,388**	**2,765,964**	**306,551,491**
	(294,955,131)	(25,705,106)	(2,987,687)	(323,647,924)
चालू परिसंपत्तियां	**224,798,014**	**186,567,307**	**380,153,273**	**791,518,594**
	(217,349,124)	(169,974,354)	(212,627,889)	(599,951,367)
dly ifjlifRr;k	**505,423,154**	**209,727,695**	**382,919,238**	**1,098,070,087**
	(512,304,255)	(195,679,460)	(215,615,576)	(923,599,291)
6 lHkh lxeVk dh dly ifjlifRr;k d ifr'kr d :i e lxeV ifjlifRr;k	**46**	**19**	**35**	**100**
	(56)	(21)	(23)	(100)
7 lxeV n;rk,				
कुल देयता	**622,106,970**	**422,220,515**	**1,470,142,993**	**2,514,470,478**
	(618,466,528)	(621,061,632)	(289,734,988)	(1,529,263,148)
8 lHkh lxeVk dh dly n;rkvk d ifr'kr d :i e lxeV n;rk,	**25**	**17**	**58**	**100**
	(40)	(41)	(19)	(100)
9 dly iwthxr 0;;	**449,312**	**346,851**	**-**	**796,163**
	(482,339)	(335,000)	-	(817,339)
10 lHkh lxeVk d ifr'kr d :i e lxeV dk iwthxr 0;;	**56**	**44**	**-**	**100**
	(59)	(41)		(100)
11 dly eY;gkl	**14,751,939**	**3,469,153**	**221,724**	**18,442,816**
	(13,743,415)	(3,617,927)	(256,687)	(17,618,029)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

nl o"kZ dh fo'k"krk,a

fooj.k	2013-14	2012-13	2011-2012	2010-2011	2009-2010	2008-2009	2007-2008	2006-2007	2005-2006	2004-2005
ipkyu ifj.kke ,d utj esa										
कुल राजस्व	5,050.30	4,636.46	5,773.99	5,357.63	4,128.51	4,905.23	6,128.07	6,650.34	5,856.77	4,921.25
कुल प्रचालन लागत	8,509.51	7,936.37	7,688.84	7,880.83	6,690.58	6,494.58	7,544.16	7,723.36	5,804.69	5,122.56
सकल प्रचालन लाभ	(3,459.21)	(3,299.91)	(1,914.85)	(2,523.20)	(2,562.07)	(1,589.35)	(1,416.09)	(1,073.02)	52.08	(201.31)
मूल्यह्रास	184.43	176.18	196.63	196.63	232.09	220.49	162.37	146.50	142.82	139.67
ब्याज	548.62	2.03	43.54	42.74	30.77	-	-	0.10	184.77	333.34
पिछले वर्षों का समायोजन				-	-	-	-		13.48	70.23
पूर्वावधि एवं अन्य समायोजन	(144.90)	83.42	(25.98)	(91.54)	86.20	39.25	905.02	27.44	(14.95)	11.21
आयकर/एफबीटी का समायोजन				-	-	12.31	13.18	23.32	-	19.96
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(4,047.37)	(3,561.53)	(2,129.04)	(2,671.01)	(2,911.13)	(1,861.40)	(2,496.66)	(1,270.38)	(303.94)	(775.72)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)		(3,561.53)	(2,129.04)	(2,671.01)	(2,911.13)	(1,861.40)	(2,496.66)	(1,270.38)	(303.94)	(775.72)
शेयर पूंजी	5,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	(14,164.00)	(10,116.64)	(6,555.10)	(4,426.07)	-	1,156.07	3,017.47	5,514.13	6,784.51	7,088.45
निवल मूल्य	(9,104.00)	(6,056.64)	(2,495.10)	(366.07)	2,304.94	5,216.07	7,077.47	9,574.13	10,844.51	11,148.45
ऋण			-	-	520.26				-	4,326.49
सकल ब्लॉक	8,092.04	8,084.15	8,075.98	8,040.25	8,269.54	8,181.52	7,232.53	6,866.48	6,825.39	6,758.46
मूल्यह्रास	5,036.67	4,857.82	4,682.89	4,490.48	4,576.08	4,347.62	4,127.14	4,058.37	3,938.88	3,828.75
निवल ब्लॉक	3,055.37	3,226.34	3,393.09	3,549.77	3,693.46	3,833.90	3,105.39	2,808.11	2,886.51	2,929.71
चालू पूंजीगत कार्य	10.14	10.14	10.14	20.69	20.71	109.10	150.29	1.19	1.19	1.19
चालू परिसंपत्तियां	7,915.19	5,999.51	6,145.22	7,559.17	5,868.00	7,189.26	9,717.00	11,835.85	10,855.69	3,742.07
चालू देयताएं	20,084.70	15,292.63	12,043.56	10,884.13	6,757.43	5,916.66	5,895.68	5,071.49	2,899.35	2,698.50
निवल चालू परिसंपत्तियां	(12,169.52)	(9,293.12)	(5,898.34)	(3,324.96)	(889.43)	1,272.60	3,821.32	6,764.36	7,956.34	1,043.57
नियोजित पूंजी	(9,114.15)	(6,066.78)	(2,505.25)	224.81	2,804.03	5,106.50	6,926.71	9,572.47	10,842.85	3,973.28
ipkyu lkaf[;dh										
vkSlr vkD;wiUlh %										
सेंटॉर होटल – दिल्ली%	40	53	66	57	33	46	73	76	67	74
सेंटॉर लेक व्यू होटल–श्रीनगर%	43	51	48	45	48	47	46	48	27	58
vfrfFk;ksa dh dqy la[;k										
सेंटॉर होटल – दिल्ली	35,365	53,356	54,399	48,522	29,344	39,053	62,201	65,778	56,158	54,020
सेंटॉर लेक व्यू होटल – श्रीनगर	42,157	54,438	37,561	34,525	36,957	35,632	32,525	31,176	33,727	36,000
fons'kh eqnzk esa vtZu										
(लाख रुपए में)	3.42	29.46	64.02	89.06	91.71	114.05	172.72	217.08	250.06	217.86
कर्मचारियों की संख्या (वर्ष के अंत में)	1,065	1273	1279	1325	1381	1439	1486	1664	1695	1715
कर्मचारियों का पारिश्रमिक हितलाभ (रुपए लाख में)	5,714.21	5,335.37	5,089.39	5,309.06	4,298.43	4,225.85	4,821.02	5,510.15	3,549.81	3,292.57